भारत
के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का

Presented to the Legislatur...
Dated 07 DEC 2005

31 मार्च 2004 को अंत हुए वर्ष का
प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

http://cagindia.org/states/bihar/2004

विषय–सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		III
विहंगावलोकन		V
अध्याय–I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ	1.2	3
संग्रहण की लागत	1.3	3
प्रति निर्धारिती बिक्री कर का संग्रहण	1.4	4
संग्रहण का विश्लेषण	1.5	4
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.6	5
बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले	1.7	6
कर का अपवंचन	1.8	7
वापसी	1.9	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	7
उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने तथा सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	1.11	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.12	9
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के उत्तर	1.13	10
अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	11
बिक्री कर में राजस्व के बकाये पर समीक्षा	2.2	11
क्रय / बिक्रय राशि का छिपाया जाना	2.3	20
कर देय बिक्री राशि का गलत निर्धारण	2.4	22
अतिरिक्त कर का कम लगाया जाना	2.5	22
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.6	23
अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	2.7	23
छूट की गलत स्वीकृति	2.8	24
अध्याय–III : राज्य उत्पाद		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	25
उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	3.2	25
विखंडन के पश्चात उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	3.3	26
छोआ से कम सुषव निकाले जाने के कारण राजस्व की हानि	3.4	26

खुदरा बिक्रेता को अनुचित लाभ		3.5	27
अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में चूक के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना		3.6	27
अध्याय– IV : मोटर वाहनों पर कर			
लेखा परीक्षा के परिणाम		4.1	29
कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी		4.2	29
वाहनों से कर की वसूली नहीं होना		4.3	30
बैठने की क्षमता का संशोधन नहीं/कम करने के कारण कर का अवनिर्धारण		4.4	30
अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ			
लेखापरीक्षा के परिणाम		5.1	32
मुद्रांक शुल्क पर समीक्षा		5.2	33
पट्टाकृत खासमहाल भू –संपत्ति के अनवीकरण /बंधों एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व की हानि		5.3	44
सरकारी लेखा में शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर का जमा नहीं होना		5.4	45
निर्धारित कर तथा अर्थदण्ड की वसूली नहीं होना		5.5	46
अध्याय–VI : कर – भिन्न प्राप्तियाँ			
लेखापरीक्षा के परिणाम		6.1	47
ब्याज प्राप्तियाँ पर समीक्षा		6.2	48
ईंट मिट्टी के अवैध खनन पर अर्थदण्ड का नहीं/कम लगाया जाना		6.3	54
बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि		6.4	55
मासिक विवरणी नहीं दाखिल करने के कारण अर्थदण्ड नहीं लगाना		6.5	55
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन		6.6	56
अतिक्रमित वन भूमि को खाली नहीं कराया जाना		6.7	56
संग्रहित/गैर दावित लकड़ी के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना		6.8	57
खतियानी तैयार नहीं किये जाने के कारण माँग का सृजन नहीं किया जाना		6.9	58
कम दर पर चट भूमि की बंदोबस्ती के कारण राजस्व की हानि		6.10	58
परिशिष्ट			
I	मुद्रांकों का फ्लो चार्ट	5.2.1	61
II	ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति	6.2.6	62

प्रस्तावना

31 मार्च 2004 को अंत हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य प्राप्तियों जिनमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, शुल्क और रॉयल्टियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं; की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2003–2004 के दौरान अभिलेखों की, की गयी नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये मामलों में से कुछ मामलों के साथ उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो पूर्व के वर्षों में तो आये पर पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 1,117.71 करोड़ रुपये कर के नहीं लगाने/कम लगाने/कर की हानि से संबद्ध तीन समीक्षाओं सहित 28 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I सामान्य

वर्ष 2003–2004 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 12,455.56 करोड़ रूपये थी। कर राजस्व के 2,889.69 करोड़ रूपये और कर भिन्न राजस्व के 320.38 करोड़ रूपये को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल 3,210.07 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहित किया। भारत सरकार से कुल 9,245.49 करोड़ रूपये (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा 7,627.87 करोड़ रूपये और सहायता अनुदान 1,617.62 करोड़ रूपये) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 26 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी। वर्ष 2003–2004 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (1,637.23 करोड़ रूपये) और अ–लौह खनन और धातु कर्मीय उद्योग (73.34 करोड़ रूपये) क्रमशः कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व के मुख्य श्रोत थे।

(कंडिका 1.1.1, 1.1.2 और 1.1.3)

राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबंधन फीस में संग्रह के लागत मूल्य का प्रतिशतांक वर्ष 2003–2004 की अवधि में उसी अवधि के अखिल भारतीय औसत से उल्लेखनीय रूप से उच्चतर था।

(कंडिका 1.3)

वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू –राजस्व, अ –लौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2003–2004 की अवधि में की गई नमूना जाँच से 1,230 मामलों में सन्निहित 1,666.87 करोड़ रूपये राशि के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकाश में आये। वर्ष 2003–2004 के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण इत्यादि के 9.92 करोड़ रूपये के 36 मामले को स्वीकार किया गया जो वर्ष 2003–2004 के पूर्व वर्षो से संबंधित है।

(कंडिका 1.10)

दिसम्बर 2003 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निराकरण जून 2004 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 8,078 तथा 32,639 थी जिनमें 3,047.09 करोड़ रूपये सन्निहित थे। 1,997 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के छः सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.11)

II बिक्री, व्यापार आदि पर कर

बिक्री कर में राजस्व का बकाया पर समीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुए:

- वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 तक की अवधि में बकाये की राशि 692 करोड़ से बढ़कर 1,145 करोड़ रूपये (65 प्रतिशत) हो गई जबकि प्रमाणित बकाये की राशि मात्र 29 प्रतिशत ही बढ़ी। वृहत बकाया की तुलना में वसूली पद्धति की गति धीमी थी।

(कंडिका 2.2.5)

- 15 अंचलों में बनाये गये बकाया विवरणी तथा पंजी VI के तिर्यक जाँच से 38.51 करोड़ रूपये के बकाये का गलत प्रदर्शन, 2.45 करोड़ रूपये के कर का *कम प्रदर्शन तथा 0.61 करोड़ रूपये के बकाये का अधिक प्रदर्शन का पता चला।*

(कंडिका 2.2.6)

- पंजी IX तथा पंजी X के बीच 2.76 करोड़ रूपये की विषमताओं को दूर करने में राजस्व अधिकारी असफल रहे। इसके अलावे एक अंचल के दो व्यवसायियों के मामले में दायर नीलामवाद 17.83 लाख रूपये से कम था।
- वर्ष 1994–1995 तथा 2002–2003 में कुर्की/जब्ती/गिरफ्तारी आदेश के पालन नहीं होने के कारण दो अंचलों में 92.54 लाख रूपये के बकाये की वसूली के लिए दायर किये गये पाँच नीलामवाद 2002–2003 तक विचाराधीन पड़े रहे।

(कंडिका 2.2.7)

- एक अंचल के दस बेनामी (अस्तित्वविहीन) व्यवसायियों के मामले में व्यवसायियों को निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत किया गया यद्यपि 13.19 करोड़ रूपये के कर का भुगतान नहीं करने के कारण नीलामवाद दायर किये गये। दोषियों का पता नहीं चला।

(कंडिका 2.2.10)

चार वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 21 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की सीमा शुल्क विभाग के अभिलेखों से तिर्यक जाँच से यह उद्घटित हुआ कि 17.27 करोड़ रूपये की कर देय राशि पर गलत छूट प्रदान की गयी, फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 6.35 करोड़ रूपये का कर कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.3)

तीन वाणिज्यकर अंचलों के छः व्यवसायियों के मामले में यद्यपि 14.18 करोड़ रूपये मूल्य के माल की बिक्री विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं थी, कम दर पर कर आरोपित किया गया। फलस्वरूप 56.27 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.6)

III राज्य उत्पाद

छः उत्पाद कार्यालयों में 27 दे.श., 40 म.दे.श. तथा 21 भा.नि.वि.श. की दुकाने वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान अबंदोबस्त या विभागीय स्तर पर असंचालित रहीं। इसके फलस्वरूप 5.08 करोड़ रूपये के उत्पाद शुल्क तथा अनुज्ञा शुल्क की हानि हुई।

(कंडिका 3.2)

छोआ से 57,231.65 एल.पी.एल. सुषव कम निकाले जाने के फलस्वरूप 57.23 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.4)

IV मोटर वाहनों पर कर

15 जि.प.का. में 875 परिवहन वाहन मालिकों से अप्रील 1999 से जनवरी 2004 की अवधि से संबंधित 5.39 करोड़ रूपये अर्थदण्ड सहित 8.09 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 4.2)

पाँच जि.प.का. में 55 वाहनों के कर की दर सीटों की क्षमता/चक्कों के आधार के अनुसार पुनरीक्षित नहीं किया गया; फलस्वरूप 20.24 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं/कम हुई।

(कंडिका 4.4)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक शुल्क पर समीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुए:

- विभाग द्वारा वर्ष 1993–1994 से 2002–2003 तक के प्राप्तियों के विभागीय आँकड़े तथा वित्त लेखा के आँकड़ों के बीच 18.59 करोड़ रूपये की विषमता का समाधान नहीं किया गया।

 (कंडिका 5.2.6)

- नमूना जाँच किये गये 12 जिलों में पाया गया कि दो कोषागार पदाधिकारियों ने मई 2004 तक मुद्रांक पर छः अंकों की क्रम संख्या का अभिलेखन आरम्भ नहीं किया था तथा सात जिलों में छः अंकीय संख्या को आरम्भ करने एवं विवरणों को संबंधित जिला अवर निबंधकों को दस्तावेज निष्पादन में मुद्रांक की जाँच पड़ताल के लिए भेजने में अत्यधिक विलंब हुआ।

 (कंडिका 5.2.8)

- नमूना जाँच किये गये 12 जिलों में 1,004 में से मात्र 858 मुद्रांक बिक्रेता अपनी लेखाओं का प्रस्तुतिकरण संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपसमाहर्त्ता को करते थे। इन में से 140 बिक्रेताओं की लेखाओं की जाँच में पाया गया कि जिला अवर निबंधकों के अभिलेखों के साथ निरीक्षण/जाँच/मिलान कोषागार पदाधिकारियों/उपसमाहर्त्ता द्वारा नहीं किया गया।

- पाँच जि.अ.नि. कार्यालयों में वर्ष 1995–1996 से 2002–2003 के दौरान दस्तावेजों के निष्पादन में 10.02 करोड़ रूपये के गैर न्यायिक मुद्रांक का उपयोग बिक्री की तुलना में अधिक हुआ।

 (कंडिका 5.2.9)

- एक कोषागार में जनवरी 2004 में 3.06 करोड़ रूपये के मुद्रांक की चोरी हो गयी।

 (कंडिका 5.2.11)

- अन्य राज्यों के अनधिकृत बिक्रेताओं के द्वारा 2.87 करोड़ रूपये के मुद्रांक की बिक्री के फलस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

 (कंडिका 5.2.13)

- निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने तथा उनके प्रतिवेदनों, यदि कोई हो, पर कार्रवाई करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं था। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अस्तित्वविहीन थी।

(कंडिका 5.2.17)

VI कर – भिन्न प्राप्तियाँ

ब्याज प्राप्तियाँ पर समीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुए:

- प्रशासनिक विभागों ने वित्त विभाग में प्रस्तुत करने हेतु "ब्याज प्राप्तियाँ" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 तक के लिए बजट अनुमान या संशोधित अनुमान तैयार नहीं किया यद्यपि वित्त विभाग ने बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान तैयार/प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया था।

(कंडिका 6.2.5)

- नमूना जाँच किये गये प्रशासनिक विभागों में से किसी ने ऋण लेजर तथा माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण नहीं किया। मूलधन तथा ब्याज की वसूली पर नियंत्रण में विभाग विफल रहा।

(कंडिका 6.2.6)

- मार्च 2003 तक उपचित 687.67 करोड़ रूपये का ब्याज तथा दंडनीय ब्याज की प्रशासनिक विभागों द्वारा न तो गणना की गयी न माँग ही प्रस्तुत की गयी। इसमें से 648.89 करोड़ रूपये वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 से संबंधित था।
- सहकारिता विभाग के तीन ऋणियों के विरूद्ध बकाया ऋण पर मार्च 2003 तक उपचित 70.63 करोड़ रूपये का ब्याज बगैर वसूली के रहा। इसमें से 39.97 करोड़ रूपये वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 से संबंधित था।

(कंडिका 6.2.7)

- आवास विभाग द्वारा ऋण के बंधों एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं देने के फलस्वरूप 1.53 करोड़ रूपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 6.2.8)

14 जि.ख.का. में ईंट मौसम 2001–2002 तथा 2002–2003 में 1,679 ईंट भट्ठे वैध परमिट तथा समेकित रॉयल्टी के भुगतान के बगैर चलाये गये। सक्षम प्राधिकारी इस व्यवसाय को रोकने तथा 8.43 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड की वसूली में विफल रहे।

(कंडिका 6.3)

वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के फलस्वरूप वातावरणीय स्थिरता तथा पर्यावरण संतुलन पर असर डालते हुए वन क्षेत्र के ह्रास के रूप में हानि के अलावा 6.65 करोड़ रूपये शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा 32.45 लाख रूपये के क्षतिपूरक वन रोपण मूल्य की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 6.6)

चार जलपथ प्रमंडलों में वर्ष 1999–2000 से 2002–2003 के दौरान खरीफ के 4.11 लाख एकड़ सिंचित भूमि तथा रबी के 1.01 लाख एकड़ सिंचित भूमि से संबंधित खतियानी तैयार नहीं की गई तथा 3.73 करोड़ रूपये के जलदर का माँग सृजन एवं संग्रहण के लिए उसे संबंधित राजस्व प्रमंडलों को अग्रसारित नहीं किया गया।

(कंडिका 6.9)

अध्याय – I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 वर्ष 2003–2004 के दौरान बिहार सरकार द्वारा संग्रहित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रूपये में)

		1999-2000	2000-2001[1]	2001-2002	2002-2003	2003-2004
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व					
	(क) कर राजस्व	3,084.79	2,809.23	2,318.95	2,761.05	2,889.69
	(ख) कर–भिन्न राजस्व	1,165.86	711.68	286.70	260.82	320.38
कुल		**4,250.65**	**3,520.91**	**2,605.65**	**3,021.87**	**3,210.07**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	(क) विभाज्य संघीय करो में राज्य का अंश	4,962.59	6,575.63	6,176.62	6,549.23	7,627.87
	(ख) सहायता अनुदान	1,446.29	1,080.78	1,057.02	1,397.32	1,617.62
कुल		**6,408.88**	**7,656.41**	**7,233.64**	**7,946.55**	**9,245.49**
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ[2] I & II	10,659.53	11,177.32	9,839.29	10,968.42	12,455.56
IV.	III से I की प्रतिशतता	40	31	26	28	26

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि वर्ष 2003–2004 में राज्य सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों (12,455.56 करोड़ रूपये) का मात्र 26 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी और 74 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से मिली। वर्ष 1999–2000 से 2003–2004 की अवधि में कुल राजस्व प्राप्तियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण का अंशदान लगातार कम रहा तथा वर्ष 2002–2003 में दो प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई।

1.1.2 विगत चार वर्षो के आँकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2003–2004 के दौरान संग्रहित कर राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2002–2003 की अपेक्षा 2003–2004 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,067.79	1,821.47	1,412.96	1,647.62	1,637.23	(-) 0.63
2.	राज्य उत्पाद	277.80	242.58	238.90	241.95	240.01	(-) 0.80
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	325.77	301.86	304.44	348.21	417.56	(+) 19.92
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	85.25	36.77	14.08	14.30	17.62	(+) 23.22
5.	वाहनों पर कर	178.47	223.98	141.54	177.98	209.50	(+) 17.71

1. वर्ष 1999–2000 के आँकड़े विभाजन पूर्व बिहार के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते हैं जबकि 2000–2001 के आँकड़े विभाजन पश्चात् बिहार के राजस्व प्राप्तियों को दर्शाते है।

2 पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2003–2004 के वित्त लेखे में विवरणी 11–लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष "0020–निगम कर", "0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर", "0028–आय और व्यय पर अन्य कर", "0032–सम्पत्ति पर कर", "0037–सीमा शुल्क", "0038–संघीय उत्पाद शुल्क" "0044–सेवा पर कर",एवं "0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क"-लघु शीर्ष "901–निबल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा" के अन्तर्गत आँकड़े, जो वित्त लेखा में "क–कर, राजस्व" में दिखाये गये है, को 'राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व" से हटाकर "विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश" में सम्मिलित कर उक्त विवरणी में दिखाया गया है।

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2002–2003 की अपेक्षा 2003–2004 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश कर कर	93.92	124.84	153.32	262.91	305.83	(+) 16.32
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, उद्यम तथा नौकरी पर कर	-	-	-	3.95	-	--
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	27.10	23.38	19.62	27.98	28.14	(+) 9.93
9.	भू–राजस्व	28.67	34.33	34.08	36.15	33.80	(-) 6.50
10.	कृषि आय पर कर	0.02	0.02	0.01	--	--	
	कुल	**3,084.79**	**2,809.23**	**2,318.95**	**2,761.05**	**2,889.69**	**(+) 4.66**

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगे गये (मई तथा जुलाई 2004), किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2004)।

1.1.3 विगत चार वर्षों के आँकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2003–2004 के दौरान संग्रहित कर भिन्न राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1999-2000	2000 -2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2002–2003 की अपेक्षा 2003–2004 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	135.75	30.68	11.75	53.01	23.08	(-) 56.46
2.	डेयरी विकास	0.04	0.17	0.55	0.00*	0.01	(+) 108.33
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	28.03	11.50	17.07	10.04	6.29	(-) 37.35
4.	खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	707.56	409.92	39.20	61.20	73.34	(+) 19.84
5.	मिश्रित सामान्य सेवायें (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	29.82	0.61	13.95	0.60	0.15	(-) 75.00
6.	पावर	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	---
7.	मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	41.40	33.90	15.58	15.43	26.22	(+) 69.93
8.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	15.07	13.70	16.50	13.92	11.97	(-) 14.01
9.	सहकारिता	1.95	7.97	6.82	1.84	0.84	(-) 54.35
10.	लोक निर्माण	1.36	0.99	0.78	1.11	1.15	(+) 3.60
11.	पुलिस	3.63	4.70	3.98	22.71	16.86	(-) 25.76
12.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	88.67	61.58	22.43	15.19	80.72	(+) 431.40
13.	अन्य कर भिन्न राजस्व	112.56	135.96	138.05	65.77	79.75	(+) 21.25
	कुल	**1,165.86**	**711.68**	**286.70**	**260.82**	**320.38**	**(+) 22.83**

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगे गये (मई तथा जुलाई 2004) किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2004)।

* *0.48 लाख रूपये मात्र*

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2003–2004 के दौरान मुख्य राजस्व शीर्षों में बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+) ह्रास (–)	प्रतिशतता
(क)	**कर राजस्व**				
1	बिक्री,, व्यापार आदि पर कर	1,995.29	1,637.23	(-) 358.06	17.95
2	राज्य उत्पाद	280.00	240.01	(-) 39.99	14.28
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	480.00	417.56	(-) 62.44	13.01
4	वाहनों पर कर	275.00	209.50	(-) 65.50	23.82
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	17.28	17.62	(+) 0.34	1.97
6	भू –राजस्व	75.00	33.80	(+) 41.20	54.93
7	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	50.33	28.14	(-) 22.19	44.09
8	माल एवं यात्री पर कर – स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	217.62	305.83	(+) 88.21	40.53
(ख)	**कर –भिन्न राजस्व**				
1	अ–लौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	75.00	73.34	(-) 1.66	2.21
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	21.00	6.29	(-) 14.71	70.04
3	ब्याज प्राप्तियाँ	29.98	23.08	(-) 6.90	23.02
4	जल दर	30.00	26.22	(-) 3.78	12.60

अ–लौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग : पर्यावरण नियंत्रण परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा स्थापित ईंट भट्ठों की संभावित संख्या के अभाव के कारण अनुज्ञापत्रों का निर्गत नहीं होना; विभिन्नताओं का कारण बताया गया।

वानिकी एवं वन्य जीवन : उत्तरी बिहार में सूखे पेड़ों की कटाई की योजना का लागू नहीं होना; विभिन्नता का कारण बताया गया। केवल गिरे हुए पेड़ों की बिक्री की गयी।

बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारण यद्यपि अन्य विभागों से माँगे गये (मई तथा जुलाई 2004), किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2004)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 तक की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2002–2003 के लिए सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है:

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2002–2003 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2001-2002	1,412.96	18.81	1.33	1.18
		2002-2003	1,647.62	21.30	1.30	
		2003-2004	1,637.23	21.46	1.31	
2	राज्य उत्पाद	2001-2002	238.90	13.72	5.74	2.92
		2002-2003	241.95	13.75	5.68	
		2003-2004	240.01	16.20	6.74	
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	2001-2002	304.44	18.22	5.76	3.46
		2002-2003	348.21	17.56	5.04	
		2003-2004	417.56	22.52	5.39	
4	वाहनों पर कर	2001-2002	141.54	4.14	2.92	2.86
		2002-2003	177.98	4.11	2.30	
		2003-2004	209.50	3.94	1.88	

उपयुर्क्त तालिका से यह पता चलता है कि राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबंधन फीस के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2002–2003 के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

1.4 प्रति निर्धारिती बिक्री कर का संग्रहण

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	बिक्री कर राजस्व (करोड़ रूपये में)	राजस्व प्रति निर्धारिती (लाख रूपये में)
1999-2000[3]	79,938	2,067.79	2.58
2000-2001	50,407	1,821.47	3.61
2001-2002	55,077	1,412.96	2.56
2002-2003	58,495	1,647.62	2.81
2003-2004	49,202	1,637.23	3.33

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व वसूली प्रति निर्धारिती वर्ष 2002–2003 मे 2.81 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2003–2004 में 3.33 लाख रूपये हो गयी।

1.5 संग्रहण का विश्लेषण

वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2003–2004 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर का कुल संग्रहण, कर निर्धारण के पूर्व नियमित कर निर्धारण के बाद तथा विगत तीन वर्षो के तदनुरूपी आँकड़ों के अलग–अलग ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रूपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलंब के लिए अर्थदंड	वापसी की राशि	विभाग के अनुसार कुल संग्रहण	वित्त लेखा के अनुसार कुल संग्रहण	कॉलम 8 से 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिक्री, व्यापार पर कर	2000-2001	1,794.11	19.11	1.55	-	1,814.77	1,821.47	98.49
	2001-2002	1,387.17	7.94	-	-	1,395.06	1,412.96	98.17
	2002-2003	1,584.73	111.43	0.82	3.16	1,693.82	1,647.62	96.18
	2003-2004	1,542.98	91.72	1.01	4.17	1,630.53	1,637.23	94.24

[3] *वर्ष 1999–2000 के आँकड़े पूर्ववर्ती बिहार (झारखंड सहित) के प्राप्तियों को दर्शाते हैं जबकि वर्ष 2000–2001 के आँकड़े झारखंड को छोड़कर बिहार को दर्शाता है।*

इस प्रकार नियमित कर निर्धारण के पश्चात् अर्थदंड सहित कर संग्रहण कुल कर संग्रहण का निम्न अंश था।

1.6 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत 31 मार्च 2004 को बकाया राजस्व 1,356.87 करोड़ रूपये था, जिसमें से 813.79 करोड़ रूपये पाँच वर्षो से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2004 को बकाया राशि	31 मार्च को पाँच वर्षो से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	961.57	550.01	961.57 करोड़ रूपये में से 190.02 करोड़ रूपये की वसूली के लिए बकाये भू –राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 456.39 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 4.31 करोड़ रूपये तथा 1.17 करोड़ रूपये की वसूली कमशः आवेदन के सुधार/पुनर्विचार एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रूकी रही। 1.55 करोड़ रूपये की माँग अपलेखन योग्य थी। शेष 308.13 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गई थी (मई 2004) नहीं दी गयी (अक्टूबर 2004)।
2.	वाहनों पर कर	85.75	195.98	कुल बकाया 85.75 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू –राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये।
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	99.03	39.57	99.03 करोड़ रूपये में से 81.27 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू –राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। शेष 17.76 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2004) नहीं दी गयी (अक्टूबर 2004)।
4.	राज्य उत्पाद	24.99	16.84	24.99 करोड़ रूपये में से 11.03 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू –राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 3.65 करोड़ रूपये एवं 0.48 करोड़ रूपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 0.03 करोड़ तथा 0.89 करोड़ रूपये की वसूली क्रमशः आवेदन के सुधार/समीक्षा एवं व्यवसायी/दल के दिवालिया हो जाने कारण रूकी रही। 2.65 करोड़ रूपये की माँग अपलेखन योग्य थी। शेष 6.26 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2004) नहीं दी गयी (अक्टूबर 2004)।

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2004 को बकाया राशि	31 मार्च को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	8.04	7.22	8.04 करोड़ रूपये मे से 0.03 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू – राजस्व की तरह नीलामबाद दायर किये गये। 2.25 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोकी गयी शेष 5.76 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना, यद्यपि माँगी गयी थी (मई 2004) नहीं दी गयी (अक्टूबर 2004)।
6.	ईंख पर कर	19.33	अप्राप्त	19.33 करोड़ रूपये में से 8.19 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाया भू –राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.47 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी। शेष 10.67 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई की सूचना यद्यपि माँग की गई थी (मई 2004), नहीं दी गयी (अक्टूबर 2004)।
7.	प्रवेश कर	154.70	1.44	154.70 करोड़ रूपये में से 0.17 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू –राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 90.58 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गई। शेष 63.95 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना, यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 2004) नहीं दी गयी (अक्टूबर 2004)।
8.	मनोरंजन कर	3.46	2.73	3.46 करोड़ रूपये में से 2.17 करोड़ रूपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू –राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.50 करोड़ रूपये तथा 0.14 करोड़ रूपये की वसूली पर न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी। शेष 0.65 करोड़ रूपये के बकाये के संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना, यद्यपि माँगी गयी थी (मई 2004) नहीं दी गयी (अक्टूबर 2004)।

1.7 बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1999–2000 से 2003–2004 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अन्त में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये, नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य नये मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कालम 6 की 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1999-2000	70,852	1,00,654	1,71,506	79,938	91,568	53
2000-2001	82,902[4]	96,560	1,79,462	50,407	1,29,055	72
2001-2002	1,29,055	1,23,660	2,52,715	55,077	1,97,638	78
2002-2003	1,97,638	69,069	2,66,707	58,495	2,08,212	78
2003-2004	2,08,212	66,398	2,74,610	49,202	2,25,408	82

1.8 कर का अपवंचन

वाणिज्य कर विभाग में 31 मार्च 2004 तक पता लगाये गये कर के अपवंचन के 623 मामलों में से वर्ष 2003–2004 के दौरान 376 मामलों में निर्धारण/जाँच सम्पन्न हुए तथा 4.05 करोड़ रूपये (अर्थ दंड सहित) की अतिरिक्त माँग सृजित की गयी। शेष 247 मामले निष्पादन हेतु लंबित थे।

अन्य विभागों से भी सूचनायें माँगी गयी (मई 2004) किन्तु विभागीय उच्च अधिकारियों को अनेक स्मार देने एवं व्यक्तिगत संपर्कों के बाबजूद प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2004)।

1.9 वापसी

वर्ष 2003–2004 के आरम्भ में वापसी से संबंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत्त वापसी तथा वर्ष के अन्त में लंबित मामले (मार्च 2004) जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किये गये थे, नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रूपये में)

		बिक्री कर		स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	3,024	6.81	शून्य	शून्य	700	4.39
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	157	8.08	1	2.75	652	2.16
3.	वर्ष के दौरान वापसी	71	4.17	1	2.75	688	2.79
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	3,110	11.72	शून्य	शून्य	664	3.76

1.10 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा निबंधन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से 1,230 मामलों में निहित 1,666.87 करोड़ रूपये के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला। वर्ष 2003–2004 के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण इत्यादि के 9.92 करोड़ रूपये के 36 मामले को स्वीकार किया गया जो वर्ष 2003–2004 के पूर्व वर्षों से संबंधित है।

[4] *विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1999–2000 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अन्तशेष 91,568 से 8,666 का अन्तर है। विभाग ने अन्तर का कारण झारखंड के मामलों को हटाया जाना बताया।*

इस प्रतिवेदन में अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदंड आदि से संबंधित तीन समीक्षाओं सहित 28 कंडिकाएँ हैं जिनमें 1,117.71 करोड़ रूपये सन्निहित हैं। विभाग/सरकार ने 10 मामलों में 19.53 करोड़ रूपये की लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ स्वीकार किया है। अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2004)।

1.11 उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने तथा सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

प्रधान महालोखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन–देन की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उनके निरीक्षण के दौरान पता लगायी गयी तथा स्थल पर समायोजित नहीं की गयी अनियमिततओं इत्यादि को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में अनुवर्तित किये जाते हैं, जिसे निरीक्षण कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु, जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार द्वारा, नि.प्र. में सम्मिलित अभ्युक्तियों का अनुपालन तथा त्रुटियों एवं चूकों का शीघ्र सुधार किया जाना एवं नि.प्र. जारी किये जाने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन पर प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2003 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि जून 2004 के अन्त तक 8,078 नि.प्र. से संबंधित 3,047.09 करोड़ रूपये मूल्य से आवेष्टित 32,639 कंडिका बकाया थे। यहाँ तक कि दिसम्बर 2003 तक जारी 1,997 नि.प्र. के संबंध में प्राथमिक उत्तर जो कि नि.प्र. जारी होने के छः सप्ताह के अन्दर प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे, कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए थे।

(क) निम्नलिखित विभागों से संबंधित बकाया लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ नीचे दी गयी है :

(करोड़ रूपये में)

			बकायों की संख्या			
क्रमांक	विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	नि.प्र. की कंडिका	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है	सन्निहित राशि
1	राजस्व	भू –राजस्व	4,451	14,141	1980-1981	480.18
2	वित्त (वाणिज्यकर)	बिक्री,. व्यापार आदि पर कर	824	5,887	1982-1983	509.64
		लघु कर	185	273	1984-1985	31.29
3	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	686	4,297	1991-1992	681.82
4	परिवहन	वाहनों पर कर	468	3,570	1990-1991	364.07
5	खान एवं भूगर्भ	अ–लौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	322	1,625	1982-1983	111.01
6	जल संसाधन	जल दर	401	1,223	1982-1983	650.43
7	ईख	ईख पर कर	190	475	1977-1978	105.86
8	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	54	155	1981-1982	31.34
9	निबंधन	मुद्रांक तथा निबंधन फीस	497	993	1990-1991	81.45
		कुल	**8,078**	**32,639**		**3,047.09**

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन जिनके प्राथमिक उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिये गये :

विभाग	राजस्व शीर्ष	नि.प्र. की संख्या जिनके प्राथमिक उत्तर अप्राप्त हैं	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित हैं
1. राजस्व	भू–राजस्व	1,396	1980-1981
2. उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	57	1982-1983
3. परिवहन	वाहनों पर कर	134	1990-1991
4. वित्त (वाणिज्यकर)	(i) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	67	1999-2000
	(ii) विद्युत शुल्क (iii) माल तथा यात्री पर कर (iv) मनोरंजन कर	20	1999-2000
5. राजस्व (निबंधन विभाग)	मुद्रांक तथा निबंधन फीस	145	1990-1991
6. खान एवं भूगर्भ	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	67	1990-1991
7. ईंख	ईंख पर कर	61	1981-1982
8. जल संसाधन	जल दर	32	1998-1999
9. वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	18	1984-1985
	कुल	**1,997**	

उत्तरों की अप्राप्ति के कारण नि.प्र. का यह वृहद् विलम्बन नि.प्र. में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी गलतियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने में कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की विफलता का सूचक है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि (क) लेखा परीक्षा अभियुक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने (ख) निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नि.प्र./कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने (ग) समयबद्ध पद्धति में हानि/बकाया माँग वसूल करने हेतु कार्यवाही करने हेतु एक कारगर प्रक्रिया विद्यमान है।

1.12 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट बकाया लेखा परीक्षा अभियुक्तियों के शीघ्र निष्पादन हेतु विभागीय लेखा परीक्षा समितियाँ गठित की गई थी। समितियों की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा की जाती है जिनमें अन्य के साथ राज्य सरकार एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार के कार्यालय के संबंधित अधिकारी उपस्थित होते हैं।

लेखा परीक्षा अभियुक्तियों/लेखा परीक्षा कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति मनीटर करने तथा समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित थी। वर्ष 2003–2004 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गयी। अधिकांश सरकारी विभागों ने इस बैठक के माध्यम से बकाया लेखा परीक्षा अभियुक्तियों के निष्पादन हेतु कोई प्रारम्भिक कदम नहीं उठाये गये। सरकार को, कारगर प्रगति हेतु इस समिति की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.13 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया कि भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजे। प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रारूप कंडिकाओं को, अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखा परीक्षा उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उत्तर भेजने हेतु उनको अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित तीन समीक्षाओं सहित 28 प्रारूप कंडिकायें संबंधित विभागों के सचिवों को मई से जुलाई 2004 के दौरान अर्द्ध शासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किए गये थे।

विभिन्न विभागों के सचिवों ने 25 प्रारूप कंडिकाओं तथा दो समीक्षाओं के उत्तर प्रेषित नहीं किया। अतः इस प्रतिवेदन में सभी 25 कंडिकाओं तथा तीन समीक्षाओं को सरकार के जबाब के बिना ही शामिल कर लिया गया।

अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान विभिन्न वाणिज्यकर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी संबंधी अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जाँच से 298 मामलों में 371.27 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	14	0.31
2	कर से छूट की गलत अनुमति	90	68.74
3	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	18	2.42
4	कर की रियायती दर की गलत अनुमति	17	9.14
5	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना	14	1.26
6	गलत दरों से कर का लगाया जाना	11	0.11
7	बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	27	2.52
8	कर के अधिक संग्रहण पर अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना / संगणना में त्रुटि	12	0.42
9	अन्य मामले	94	8.77
10	बिक्री कर के बकाये की समीक्षा	1	277.58
	कुल	**298**	**371.27**

वर्ष 2003–2004 के दौरान संबंधित विभाग ने 20 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 0.85 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों की लेखा परीक्षा में बताये गये थे।

दृष्टांतस्वरूप "बिक्री कर में राजस्व का बकाया" पर एक समीक्षा सहित 291.30 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये है :

2.2 बिक्री कर में राजस्व का बकाया

मुख्याकर्षण

- वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 तक की अवधि में बकाये की राशि 692 करोड़ से बढ़कर 1,145 करोड़ रूपये (65 प्रतिशत) हो गई जबकि प्रमाणित बकाये की राशि मात्र 29 प्रतिशत ही बढ़ी। वृहत बकाया की तुलना में वसूली प्रकिया की गति धीमी थी।

(कंडिका 2.2.5)

- 15 अंचलों में बनाये गये बकाया विवरणी तथा पंजी VI के तिर्यक जाँच से 38.51 करोड़ रूपये के बकाये का गलत प्रदर्शन, 2.45 करोड़ रूपये के बकाये का कम प्रदर्शन तथा 0.61 करोड़ रूपये के बकाये का अधिक प्रदर्शन का पता चला।

(कंडिका 2.2.6)

- पंजी IX तथा पंजी X के बीच 2.76 करोड़ रूपये की विषमताओं को दूर करने में राजस्व अधिकारी असफल रहे। इसके अलावे एक अंचल के दो व्यवसायियों के मामले में दायर नीलामवाद 17.83 लाख रूपये कम था।

- वर्ष 1994–1995 तथा 2002–2003 में कुर्की/जब्ती/गिरफ्तारी आदेश के पालन नहीं होने के कारण दो अंचलों में 92.54 लाख रूपये के बकाये की वसूली के लिये दायर किये गये पाँच नीलामवाद 2002–2003 तक विचाराधीन पड़े रहे।

(कंडिका 2.2.7)

- एक अंचल के 10 बेनामी (अस्तित्वविहीन) व्यवसायियों के मामले में व्यवसायियों को निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत किया गया यद्यपि 13.19 करोड़ रूपये के कर का भुगतान नहीं करने के कारण नीलामवाद दायर किये गये। दोषियों का पता नहीं चला।

(कंडिका 2.2.10)

प्रस्तावना

2.2.1 बिहार वित्त अधिनियम, 1981 तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार राज्य में बिक्री कर के आरोपण तथा संग्रहण का प्रावधान है। प्रत्येक निबंधित व्यवसायी को जिसे कर का भुगतान करना है, देय कर के भुगतान के प्रमाण के साथ मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी दाखिल करना है। किसी करदाता के पिछले वर्ष के अंतिम निर्धारण को चार वर्ष की समाप्ति के पूर्व आरम्भ एवं पूर्ण कर लेना है (15 जून 1993 से प्रभावी)। इसके पूर्व निर्धारण के आरम्भ एवं पूर्णता की अवधि आठ वर्ष थी।

माँग पत्र के अनुरूप एवं उधृत समय के अन्दर करदाता को निर्धारित कर का भुगतान कर देना है। जहाँ कर का भुगतान नहीं हो पाया हो, कर निर्धारी अधिकारी उसपर अर्थदण्ड लगा सकता है। कोई कर या अर्थदण्ड जिसका भुगतान लम्बित हो, बिक्री कर का बकाया होता है तथा इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जाती है। अधिनियम में पुनः प्रावधान है कि राजस्व के बकाया की वसूली हेतु कर निर्धारण तिथि से 12 वर्षों के पूर्व कोई वाद दायर नहीं किया जायगा। इस अधिनियम के अर्न्तगत वाद लोक माँग वसूली वाद के तरह होगा तथा उक्त अधिनियम में वसूली, कुर्की, बिक्री तथा गिरफ्तारी बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमान्ड एण्ड रिकभरी (बी.ओ.पी.डी.आर.) एक्ट, 1914 के अनुरूप लागू होगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण आदेश या अर्थदण्ड या दोनों अथवा बकाये की वसूली आदेश के विरूद्ध किसी व्यवसायी को निर्धारित अवधि में सभी प्रावधानों को पूरा करने पर अपील करने का अधिकार होगा।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2.2 वाणिज्यकर विभाग में विभिन्न अंचलों/प्रमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदनों एवं विवरणियों के द्वारा आंतरिक नियंत्रण के परिपालन तथा अधिनियमों एवं नियमों के परिपालन के लिए शीर्ष स्तर पर वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) उत्तरदायी है। प्रमंडलों/अंचलों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनों/ विवरणियों के जरिये प्रमंडलों/अंचलों के बकाया/संग्रहण का अनुश्रवण किया जाता है। उनके अधीन एक वरीय संयुक्त आयुक्त (करारोपण), उपायुक्त (उ.आ.) तथा सहायक वाणिज्यकर आयुक्त (स.वा.आ.) मुख्यालय में (सचिवालय स्तर पर) कार्यरत है।

राज्य सात वाणिज्यकर प्रमंडलों में विभाजित है, प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (सं.आ.) होते हैं। प्रमंडल अंचलों में विभाजित है जिसके प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त होते है। बिक्री

कर नियमों के परिपालन, बिक्री कर के निर्धारण सहित इसके बकाये के संग्रहण हेतु उन्हें क्रमशः स.वा.आ. तथा वाणिज्यकर अधिकारी (वा.क.अ.) का सहयोग प्राप्त है। राज्य में कुल 47 अंचल है। बी.ओ.पी.डी.आर.एक्ट के अन्तर्गत बकाये की वसूली हेतु रिक्यारिंग अधिकारी (आर.ओ.) नीलामवाद के विधिवत संचालन के लिए मौलिक रूप से जिम्मेदार होते है तथा सर्टिफिकेट अधिकारी (सी.ओ.) वाद के त्वरित निष्पादन हेतु जिम्मेदार होते है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.3 वा.क.आ. के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में जनवरी से जून 2004 की अवधि में वर्ष 1998–1999 से 2002–2003[1] तक की समीक्षा की गई। सात प्रमंडलों में से दो (मुजफ्फरपुर तथा पटना) सहित 47 अंचलों में से पन्द्रह[2] अंचलों की नमूना जाँच की गई। समीक्षा के परिणाम अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये है:

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.4 समीक्षा का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया:

- बकाया के विस्तार को सुनिश्चित करने हेतु,
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के असर को सुनिश्चित करने हेतु तथा
- माँग के सृजन तथा बकाये की वसूली में विभाग की दक्षता की जाँच हेतु।

राजस्व तथा बकाया की प्रवृति

2.2.5 वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 के दौरान उठाये गये राजस्व तथा बकाया निम्नवत है :

(करोड़ रूपये में)

अवधि	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	बकाया	वास्तविक प्राप्तियों से बकाये की प्रतिशतता
1998-1999	2,042.00	1,821.85	1,173.57	64.42
1999-2000	2,280.00	2,067.79	1,377.74	66.63
2000-2001	1,950.88	1,821.47	691.79	37.98
2001-2002	1,450.00	1,412.96	905.06	64.05
2002-2003	1,627.01	1,647.62	1,144.99	69.49

उपरोक्त अवधि में वर्ष के अन्त में बकाया वास्तविक संग्रहण का 37.98 से 69.49 प्रतिशत तक रहा।

विभाग के अनुसार बकाया वसूली के निम्नलिखित स्तरो पर थी :

(करोड़ रूपये में)

अवधि	बकाया राशि	प्रमाणित बकाया	न्यायालय/सरकार द्वारा रोका गया बकाया	अन्य बकाया	कालम 3 का 2 से प्रतिशतता	कालम 4 का 2 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1998-1999	1,173.57	68.60	639.79	465.18	5.85	54.52
1999-2000	1,377.74	158.54	647.04	572.16	11.51	46.96
2000-2001[3]	691.79	172.76	361.89	157.14	24.97	52.31
2001-2002	905.06	249.93	464.60	190.53	27.61	51.33
2002-2003	1,144.99	222.73	400.73	521.53	19.45	35.00

1 *बि0वि0अ0 1981 के प्रावधानों के अनुसार 1998–1999 से पूर्व के बकाये के मामलों की भी जाँच की गई जैसा कि इस प्रतिवेदन के कंडिका 2.2.2 में उधृत है।*

2 *आरा, बेगूसराय, बक्सर, दानापुर, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, पटना विशेष, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी तथा सासाराम।*

3 *राज्य के विभाजन के कारण बकाया में ह्रास हुआ ।*

अन्य बकायों के संबंध में विशेष कार्रवाई की सूचना यद्यपि माँगी गयी थी; नहीं दी गयी। उपरोक्त तालिका से निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती है:

- बकाया की राशि वर्ष 2000–2001 में 692 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2002–2003 में 1,145 करोड़ रूपये हो गया (65 प्रतिशत)।
- कुल बकाया राशि में 65 प्रतिशत की बढोत्तरी की तुलना में प्रमाणित बकाया की राशि वर्ष 2000–2001 में 173 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2002–2003 में 223 करोड़ रूपये (29 प्रतिशत) हो गई।
- वृहत् बकायों की तुलना में वसूली प्रकिया की गति धीमी रही।

बकायों का गलत प्रतिवेदन

2.2.6 बिहार वित्त अधिनियम, 1981 तथा इसके अन्तर्गत निर्गत शासकीय अनुदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत अंचल को बकाया तथा संग्रहण पंजी (पंजी VI) का संधारण करना है जिसमें कर निर्धारण अभिलेख में हुए विभिन्न घटनाओं का पूर्ण अभिलेख हो तथा निर्धारिती के संबंध में पूर्ण जानकारी देता हो।

तदन्तर, सितम्बर 1998 के एक शासकीय अनुदेश द्वारा स्वीकृत/निर्धारित कर के समय पर भुगतान पर नजर रखने के लिए अंचलों/अनुश्रवण कोषांग को पंजी VI को समय पर अद्यतन करने तथा अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय भेजने के लिए निर्देशित किया गया था।

नमूना जाँच किये गये सभी अंचलों में पाया गया कि पंजी VI का न तो उचित संधारण किया गया न ही निर्धारण के पश्चात किसी उच्चाधिकारी द्वारा समीक्षा/तिर्यक जाँच ही की गयी।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये बकाया विवरणी की 15[4] अंचलों में संधारित वर्ष 1998–1999 से वर्ष 2002–2003 की पंजी VI से तिर्यक जाँच करने पर बकाये का अप्रदर्शन (38.51 करोड़ रूपये), कम प्रदर्शन (2.45 करोड़ रूपये), अधिक प्रदर्शन (0.61 करोड़ रूपये) तथा करदातावार (62.04 करोड़ रूपये) एवं वर्षवार (57.50 करोड़ रूपये) बकाये के अन्तर्गत भिन्न आँकड़े उद्घटित हुए।

बकाया की वसूली के लिए अनुगामी क्रियाओं की विफलता

2.2.7 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अर्थदण्ड सहित कर की कोई राशि सूचना में निर्दिष्ट तिथि तक अभुगतेय रहती है तो वसूली के किसी अन्य तरीके के पक्षपात के बिना भू –राजस्व के बकाये की तरह बकाया की वसूली की जानी है। बी.ओ.पी. डी.आर.एक्ट के अन्तर्गत कोई राशि जो किसी तत्काल लागू कानून द्वारा राजस्व का बकाया घोषित किया गया हो, भू –राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय है।

पंजी IX तथा X के आँकड़ों में भिन्नता

- बी.ओ.पी.डी.आर.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाये की वसूली के लिए नीलामवाद आरम्भ किया जाता है जिसके लिए आर.ओ. सी.ओ. को प्रस्ताव भेजता है तथा

[4] *आरा, बेगूसराय, बक्सर, दानापुर, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, पटना विशेष, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी तथा सासाराम।*

उन मामलों के विवरणों की प्रविष्टि पंजी IX में करता है एवं सी.ओ. संतुष्ट होने के बाद कि कोई लोक माँग समाहर्ता को भुगतान हेतु राजस्व बकाया है, विहित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र यह दर्शाते हुए कि माँग बकाया है हस्ताक्षरित करता है तथा उसे अपने कार्यालय में संचिकाबद्ध करता है। तदन्तर, सी.ओ. विवरणों को पंजी X में अंकित करता है। पंजी IX एवं X का मिलान नियमित अन्तराल पर करना आवश्यक है। सी.ओ. यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि नीलामवाद कार्यालय में विलम्ब नहीं हो तथा आवेदन होने के तुरत बाद प्रमाण पत्र बना दिया जाय।

वर्ष 1997–1998 से 2000–2001 के लिए तीन अंचलों[5] के पंजी IX की प्रविष्टियों की तिर्यक जाँच पंजी X (नीलामवाद कार्यालय में संधारित) की प्रविष्टियों से करने पर भिन्ताएँ उद्घटित हुईं। पंजी IX में 8.43 करोड़ रूपये के दस नीलामवाद मामले पाये गये जबकि पंजी X में 5.67 करोड़ रूपये का मात्र एक मामला पाया गया। पंजी IX तथा X के मिलान नहीं करने के कारण तथा आर. ओ. एवं सी.ओ. के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं होने के कारण 2.76 करोड़ रूपये की विसंगति हुई।

नीलामवाद कार्यवाही आरम्भ नहीं/कम राशि का आरम्भ किया जाना

- छः अंचलों[6] में पंजी VI/निबंधन प्रमाण पत्र की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 17 व्यवसायियों ने अपना व्यवसाय या तो बंद कर दिया या वर्ष 1991–1992 से 2002–2003 के दौरान निबंधन प्रमाण पत्र अभ्यर्पित कर दिया। उन्होंने विवरणी दाखिल करना बंद कर दिया तथा बकाया कर 64.52 लाख रूपये का भुगतान नहीं किया किन्तु उनके विरूद्ध नीलामवाद कार्यवाही नहीं की गई। तदन्तर, बकाये की वसूली हेतु दो व्यवसायियों के विरूद्ध वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के बीच 17.83 लाख रूपये की कम राशि से नीलामवाद कार्यवाही आरम्भ की गयी। कम राशि से नीलामवाद कार्यवाही आरम्भ करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया।

नीलामवाद कार्यवाही से पूर्व अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना

- बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कर के अभुगतित राशि पर विहित दर से जो नियत तिथि के बाद प्रत्येक प्रथम तीन महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिए कर की राशि का अधिकतम पाँच प्रतिशत और प्रत्येक अनुवर्ती माह या उसकी आंशिक अवधि के लिए दस प्रतिशत से अधिक नहीं, अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान है।

11 अंचलों[7] के प्रमाणपत्र पंजी (पंजी IX) तथा नीलामवाद कार्यवाही अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 21 व्यवसायियों के विरूद्ध अभुगतित कर राशि 13.51 करोड़ रूपये की नीलामवाद कार्यवाही 1998–1999 तथा 2002–2003 के मध्य 30.98 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड लगाये वगैर दाखिल किये गये।

5 *पटना दक्षिणी, पटना सिटी पश्चिमी तथा पटना उत्तरी।*

6 *गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी तथा सासाराम।*

7 *बेगुसराय, दानापुर, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना विशेष, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना उत्तरी तथा पटना पश्चिमी।*

नीलामवाद कार्यालय में नीलामवाद अधियाचनाओं को नहीं लौटाया जाना

• बी.ओ.पी.डी.आर.एक्ट के अन्तर्गत नीलामवाद ऋणी सम्मन पाने के 30 दिनों के अन्दर जिम्मेदारी को पूर्ण या आंशिक रूप से नकारते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है। सी.ओ. आवेदन पर कंडिकावार मंतव्य तथा नीलामवाद कार्यवाही के निष्पादन हेतु अतिरिक्त सूचनायें आर.ओ. से माँग सकता है।

पटना उत्तरी अंचल के पंजी IX की नमूना जाँच से पता चला कि 17.59 लाख रूपये का एक मामला, जो कि व्यवसायी के विरूद्ध वर्ष 2002–2003 में नीलामवाद कार्यवाही आरम्भ करने के लिए अधियाचित किया गया था, को आर.ओ. के मंतव्य हेतु लौटाया गया था। तथापि, उसे जून 2004 तक सी.ओ. को लौटाया नहीं गया जिसके फलस्वरूप नीलामवाद की कार्यवाही आरम्भ करने एवं वसूली करने में विलंब हुआ।

सही पता के अभाव में नीलामवाद कार्यवाही बंद किया जाना

• बी.ओ.पी.डी.आर.एक्ट में एक बार नीलामवाद कार्यवाही आरम्भ करने पर उसे बंद करने का प्रावधान नहीं है। तदन्तर बी.ओ.पी.डी.आर.एक्ट तथा उसके अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार आर.ओ. द्वारा नीलामवाद की कार्यवाही आरम्भ करने योग्य बकायेदारों का सही पता उपलब्ध कराना है। सी.ओ. द्वारा मांगे गये किसी मामले का प्रतिवेदन भेजने के लिए आर.ओ. जिम्मेवार है।

चार अंचलों[8] में पंजी IX की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 1992–1993 तथा 1997–1998 के मध्य व्यवसायियों के विरूद्ध 62.64 लाख रूपये के दाखिल किये गये 33 नीलामवाद मामले बकायेदारों के सही पता के अभाव में बंद कर दिये गये। फलस्वरूप 62. 64 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

जारी कुर्की वारंट/गिरफ्तारी वारंट का तामिल नही होना

• बी.ओ.पी.डी.आर.एक्ट के अन्तर्गत सी.ओ. सम्पत्ति को नीलाम कर या बकायेदार को गिरफ्तार कर तथा उसे सिविल जेल में रख कर अथवा दोनों प्रक्रियाओं द्वारा नीलामवाद के क्रियान्वयन के आदेश दे सकता है।

दो अंचलों में नीलामवाद मामलों के अभिलेखों तथा पंजी X की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 92.54 लाख रूपये के बकाया की वसूली हेतु पाँच नीलामवाद मामलों में, अक्टूबर 1994 एवं दिसम्बर 2002 के बीच जारी कुर्की/गिरफ्तारी वारंट तामिल नहीं हुए। विवरण निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

अंचल का नाम	नीलामवाद मामला सं.	कुर्की वारंट जारी होने की तिथि	गिरफ्तारी वारंट जारी होने की तिथि	राशि
सासाराम	17/1983-1984	6.10.1994	-	85.28
	939/1992-1993	तथैव	-	2.77
	152/1992-1993	6.10.1994	-	2.39
मुजफ्फरपुर	7/2001-2002	-	11.12.2002	1.05
	10/2001-2002	-	20.11.2002	1.05
कुल				**92.54**

संबंधित आर0ओ0 ने वारंट के समय पर तामिल होने के लिए मामलों की पैरवी नहीं की।

[8] *मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, पटना दक्षिणी तथा पटना पश्चिमी।*

गुम चालानों के कारण बकाया का परिहार्य निर्माण

2.2.8 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को सरकारी खजाने में चालान के माध्यम से कर अथवा अर्थदण्ड या दोनों जमा करना है। कोषागार पदाधिकारी चालान की मूल प्रति अंचल के प्रभारी को भेजता है। चालान का द्वितीयक प्रति कोषागार में रखता है तथा तृतियक एवं चतुर्थ प्रति व्यवसायी/भुगतान कर्ता से पावती लेकर लौटा देता है।

दो अंचलों (पाटलिपुत्र तथा पटना सिटी पश्चिमी) द्वारा उपलब्ध कराये गये अप्रमाणित बकाया विवरणी के अवलोकन से उद्घटित हुआ कि भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान के अभाव में निर्धारण अवधि 1991–1992 से 2002–2003 के लिए 17 व्यवसायियों के विरूद्ध 2.98 करोड़ रूपये बाकी थे। यद्यपि, विभाग के पास या तो कोषागार से या करदाता से वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु की गयी कार्रवाई का कोई अभिलेख नहीं था। तीन मामलों में पटना कोषागार के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि 8.65 लाख रूपये के अप्रमाणित बकाया के विरूद्ध करदाता ने 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए 4.34 लाख रूपये जमा कराये। विभागीय प्राधिकारियों (उ.आ.वा./स.आ.वा.) द्वारा वस्तुस्थिति का पता लगाने तथा बकायेदारों के विरूद्ध वसूली की प्रक्रिया आरम्भ करने में विफलता के फलस्वरूप 2.94 करोड़ रूपये के बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

अपील में लंबित राशि

2.2.9 बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यवसायी जो कर निर्धारी अधिकारी द्वारा कर निर्धारण या अर्थदण्ड या दोनों के आदेश को अस्वीकार करता हो, अधिकृत सं.आ. या उ.आ. से अपील कर सकता है जो सुनवाई करने के पश्चात कर निर्धारण आदेश को संपुष्ट, रद्द, कम या अधिक या निर्धारण आदेश में परिवर्तन कर सकता है अथवा पुननिर्धारण हेतु निर्धारी अधिकारी को भेज सकता है। दिसम्बर 1988 में वा.क.आ. ने प्रति माह कम से कम 60 मामले सं.आ.वा. (अपील) द्वारा निष्पादन करने हेतु निर्धारित किया जिसे पुनः अगस्त 1989 में दोहराया गया।

- ***अपील के लंबित मामले***

दो प्रमंडलों में अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 की अवधि में 7,200 मामलों के निष्पादन के विहित मानदंड के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारियों ने मात्र 4,906 मामलों का निष्पादन किया जो निम्नवत है :

प्रमंडल का नाम	वर्ष	आदि शेष	योग	कुल	मानक के अनुसार निष्पादन	वास्तविक निष्पादन	शेष	मानक के अनुसार निष्पादन में कमी की प्रतिशतता	कुल लंबित मामलों के विरूद्ध कमी की प्रतिशतता
मुजफ्फरपुर	1998-1999	1,760	325	2,085	720	1,414	671	-	32.18
	1999-2000	671	350	1,021	720	698	323	3.05	31.64
	2000-2001	323	284	607	720	467	140	35.13	23.06
	2001-2002	140	242	382	720	273	109	62.08	28.53
	2002-2003	109	412	521	720	315	206	56.25	39.53
पटना	1998-1999	167	408	575	720	218	357	69.72	62.09
	1999-2000	357	431	788	720	571	217	20.69	27.54
	2000-2001	217	342	559	720	333	226	53.75	40.43
	2001-2002	226	380	606	720	357	249	50.42	41.09
	2002-2003	249	754	1,003	720	260	743	63.89	74.08
कुल					**7,200**	**4,906**			

इस प्रकार मुजफ्फरपुर प्रमंडल में दो वर्षो को छोड़कर निष्पादन प्रतिवर्ष 720 मामले के लक्ष्य से काफी कम था तथा 1998–1999 से 2002–2003 की अवधि में कमी 20.69 एवं 69.72 प्रतिशत के बीच रही।

- ***स्थगन आदेश***

उच्चतम न्यायालय [9] ने निर्णय पारित किया कि न्यायालय को अप्रत्यक्ष करों की वसूली बाधित कर स्थगन आदेश पारित करने से बचना चाहिए अथवा वैसा आदेश जिससे अप्रत्यक्ष कर की वसूली बाधित हो, पारित नहीं करना चाहिए।

चार अंचलों द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी से उद्घटित हुआ कि 2002–2003 तक 162 अपील के मामले जिसमें 151.59 करोड़ रूपये समाहित है, विभिन्न अपीलीय प्राधिकार/अदालत द्वारा निर्गत स्थगन आदेश के अन्तर्गत थे, जिसका विवरण निम्नवत है :

(करोड़ रूपये में)

अंचल का नाम	निम्न द्वारा स्थगित							
	ट्रिबुनल		आयुक्त		संयुक्त आयुक्त		कुल	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
पटना विशेष	1	0.17	-	-	82	142.60	83	142.77
पटना सिटी पश्चिमी	-	-	-	-	1	0.07	01	0.07
सासाराम	1	0.02	1	0.01	10	0.16	12	0.19
पटना दक्षिणी	22	1.43	11	1.04	33	6.09	66	8.56
कुल	**24**	**1.62**	**12**	**1.05**	**126**	**148.92**	**162**	**151.59**

बेनामी व्यवसायियों को निबंधन प्रमाणपत्र देने के कारण बकाये की वसूली नहीं होना

2.2.10 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी जिसे निबंधन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, विहित प्राधिकारी को विहित तरीका से आवेदन करेगा तथा उक्त प्राधिकारी आवेदन के तथ्यों से संतुष्ट होकर व्यवसायी द्वारा नियमित कर के समुचित भुगतान हेतु प्रतिभूति पाकर उसे निबंधन प्रमाणपत्र स्वीकृत करेगा।

समाहर्ता, गया ने वा.क.आ.बिहार को प्रतिवेदित किया (फरवरी/मई 2002) कि दस मामलों में नीलामवाद कार्यवाही के विलम्ब से आरम्भ के कारण सरकार को भारी राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त व्यवसायी या तो *बेनामी* थे या उन्होने गलत पता दिया था; फलस्वरूप उनके विरूद्ध वसूली प्रक्रिया बाधित रही। समाहर्ता ने विभागीय या निगरानी जाँच कराने के लिए भी इच्छा जाहिर की थी। यद्यपि विभाग ने कोई कार्रवाई की, इसका उल्लेख किसी भी अभिलेख में नहीं था। इसके फलस्वरूप 13.19 करोड़ रूपये के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

प्रतिभूति का पुनरीक्षण नहीं होना

2.2.11 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी प्रत्येक निबंधित व्यवसायी से उसके द्वारा देय कर के उचित भुगतान के लिए एक प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। उक्त प्राधिकारी अगर किसी समय यह पाता है कि व्यवसायी द्वारा वर्ष में देय कर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति की राशि से अधिक

[9] एम्पायर इन्डस्ट्रिज लि. तथा अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1985 (20) ई. एल. टी. 17 (ए)(एस. सी)।

है तो उक्त प्राधिकारी व्यवसायी को वर्ष में देय कर के समतुल्य प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देगा।

आठ अंचलों[10] के 28 व्यवसायियों के मामले में कर निर्धारी पदाधिकारियों ने प्रतिभूति की राशि संशोधित नहीं किया यद्यपि प्रतिभूति की राशि की तुलना में उन व्यवसायियों द्वारा देय कर में भारी वृद्धि हुई। उचित/समतुल्य प्रतिभूति के अभाव में कर निर्धारी पदाधिकारी निर्धारण वर्ष 1988–1989 से 1998–1999 से संबंधित 27.39 करोड़ रूपये बकाये की वसूली करने में अक्षम रहे। इस प्रकार राजस्व के हित में प्रतिभूति के संशोधन नहीं होने से बकाये की राशि जमा होकर 27.39 करोड़ रूपये हो गई।

माँग पत्र के प्रेषण में विलम्ब के कारण बकाया

2.2.12 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यवसायी द्वारा भुगतेय कर तथा अर्थदण्ड सरकारी खजाने में जमा किया जायगा अथवा इस उद्देश्य के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा निर्गत विहित माँग पत्र में उधृत तरीके से तथा निर्धारित तिथि तक जमा किया जायेगा। विहित प्राधिकारी भुगतान की तिथि भी बढ़ा सकता है तथा उसे कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान किश्तों में करने की अनुमति भी दे सकता है। तदन्तर वह किसी व्यवसायी से तुरंत भुगतान करवा सकता है।

हाजीपुर अंचल के एक व्यवसायी के मामले में निर्धारण वर्ष 1988–1989 से 1990–1991 की अवधि के लिए 6.95 लाख रूपये के निर्धारण आदेश मार्च 1997 में पारित किया गया तथा एक वर्ष बीतने के बाद माँग पत्र मार्च 1998 में जारी किया गया। यद्यपि, जून 2004 तक बकाया की वसूली नहीं की जा सकी थी। जून 2004 में इसे बताये जाने पर स.आ.वा. ने अगस्त 2004 में कहा कि व्यवसायी विद्यमान नहीं रहा। इस प्रकार माँग पत्र जारी करने में विलंब के फलस्वरूप परिहार्य बकाया जमा हो गया।

निष्कर्ष

2.2.13 राज्य में बिक्री कर राजस्व का मुख्य श्रोत है। यद्यपि विगत दो वर्षों (2001–2002 तथा 2002–2003) के दौरान बकाया में वृद्धि की प्रवृति देखी गयी, तथापि, इस तथ्य के आलोक में कि कार्यपालक अनुदेशों के अन्तर्गत विहित पंजी VI का संधारण उचित रूप से नहीं किया गया, बकायों की शुद्धता भ्रामक रही। करदाताओं के विरूद्ध बकाये की शुद्ध राशि तथा वसूली प्रक्रिया की अवस्थाएँ अनिश्चित थीं। बकायों के असरदार वसूली हेतु उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

माँग का अशुद्ध उठाव, काल बाधित निर्धारण अथवा अनिर्धारण तथा माँग पत्र के जारी होने में विलम्ब जैसे कुछ तत्व थे जो न सिर्फ बकाये के असंग्रहण के द्योतक थे बल्कि बकाये की वसूली विधि को भी प्रभावित करते थे।

अनुशंसाएँ

2.2.14 सरकार निम्न पर जाँच तथा विचार कर सकती है :–

- बकाया तथा संग्रहण पर सतत निगरानी हेतु एक तंत्र का निर्माण,

[10] *दानापुर, गया, हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना उत्तरी तथा पटना पश्चिमी।*

- लम्बित प्रमाणित बकायों की वसूली हेतु असरदार कदम उठाना,
- प्रतिभूति जमा/बैंक गारन्टी की निरंतर समीक्षा,
- अपील मामलों के निष्पादन हेतु समय सीमा के निर्धारण के लिए कानून निदेशालय का निर्माण अथवा असरदार समर्थ तंत्र का निर्माण, तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक असरदार बनाना।

2.3 क्रय/विक्रय राशि का छिपाया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझ कर छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है और जिसके कारण उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गई है, तो उक्त पदाधिकारी को वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना है तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त छिपायी गयी बिक्री राशि पर दण्ड स्वरूप कर का अधिकतम तीन गुना किन्तु कम से कम कर के समतुल्य राशि का भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देना है। के.बि.क.अ. 1956 में यह प्रावधान भी है कि वैसे माल जिसका क्रय/विक्रय निर्यात बिक्री के रूप में हुआ हो, उस पर कर भुगतेय नहीं है। तदन्तर, वा.क.आ. बिहार ने मई 1990 तथा जून 1991 में अनुदेश जारी किया कि सभी प्रभारी निर्धारी पदाधिकारी अभिलेखों की तिर्यक जाँच सीमा शुल्क विभाग से करेगा।

लेखा परीक्षा जाँच से निम्नलिखित उद्घटित हुए :

- चार वाणिज्यकर अंचलों[11] में निबंधित विभिन्न वस्तुओं[12] के 21 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ सीमा शुल्क विभाग में संधारित अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि सीमा शुल्क विभाग के अभिलेखों में दर्शाये गये 30.50 करोड़ रूपये के माल के वास्तविक निर्यात मूल्य के विरूद्ध करदाताओं ने नेपाल निर्यात किये गये माल के मद में 47.77 करोड़ रूपये की बिक्री राशि, अपने विवरणियों में वर्ष 1997–1998 से 2001–2002 (कर निर्धारण दिसम्बर 1999 तथा जनवरी 2004 के बीच किया गया) की अवधि में दर्ज किया तथा कर में तदनुसार छूट प्रदान की गयी। कर निर्धारी पदाधिकारी द्वारा सीमा शुल्क विभाग से अभिलेखों की तिर्यक जाँच में विफलता के फलस्वरूप 17.27 करोड़ रूपये के अधिक कर योग्य बिक्री राशि पर अनियमित छूट प्रदान किया गया एवं तदनुसार अतिरिक्त कर, अधिभार तथा अर्थदण्ड सहित 6.35 करोड़ रूपये का कम करारोपण हुआ।

इसे बताये जाने पर विभाग ने नवम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के बीच कहा कि मामलों की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

- सात अंचलों में जनवरी 2001 तथा मार्च 2003 के बीच निर्धारित कर निर्धारण अभिलेखों, घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता प्रमाणपत्र, पथ अनुज्ञापत्र (रोड परमिट), व्यापार लेखा आदि से यह पाया गया कि 14 व्यवसायियों ने वर्ष 1997–1998 से 2001–2002 के

[11] *फारबिसगंज, कटिहार, पटना विशेष तथा रक्सौल।*

[12] *दवा, बिजली पुंखा, सिलाई मशीन, दुग्ध चूर्ण, घी–मक्खन, पनीर, खाद्य तेल, साईकिल एवं पुर्जा, साबुन, डिटर्जेंट, सोडा राख एवं कच्चा जूट तथा उपभोक्ता सामग्री।*

दौरान घोषणा प्रपत्रों पर खरीदे/बेचे गये मालों में से 8.95 करोड़ रूपये की खरीद/विक्री राशि को छिपाया जो विभाग द्वारा असंसूचित रहा। अतः खरीद/विक्री के छिपाव को रोकने में विभाग की विफलता के कारण अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित 1.70 करोड़ रूपये का कर कम आरोपित हुआ जिसका ब्यौरा निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम/व्यवसायियों की संख्या	निर्धारण अवधि निर्धारण के माह/वर्ष	वस्तु का नाम	वास्तविक क्रय/ लेखापित	वास्तविक विक्रय/ लेखापित	छिपाई गई राशि	कर/अर्थदण्ड की राशि	कुल
1	पटना विशेष 1	2000-2002 01/2003	ऑडियों तथा विडियो कैसेट	-	305.85 शून्य	305.85	44.14 40.13	84.27
2	पटना विशेष 1	2000-2001 02/2003	सिलाई मशीन तथा बिजली पंखे	841.36 704.15	-	137.21	13.70 12.46	26.16
3	पटना विशेष 2	1999-2000 2001/2003	माउल्डेड लगेज	1,072.72 961.92	-	110.80	13.53 12.29	25.82
4	गया 3	1997-1998 , 1999-2002 07/2001,03/2002.06/2002, 12/2002 & 03/2003	मोटर साईकिल, हरलिक्स, उ.सं. तार, क्लिप	2,677.93 2,411.36	-	266.57	8.72 8.28	17.00
5	फारबीसगज 2	1998-1999 & 1999-2000 06/2002	प्लायी लकड़ी, रसायन	43.74 26.02	-	17.72	2.36 2.16	4.52
6	मुजफ्फरपुर 2	1998-2001 01/2003, 02/2003	सिमेंट तथा सेनेटरी सामान	52.30 35.93	-	16.37	2.04 1.88	3.92
7	पाटलिपुत्र 1	1998-2000 01/2001, 11/2002	दवा	-	452.70 429.64	23.06	1.78 1.61	3.39
8	पटना सिटी पश्चिमी 1	2000-2001 01/2003	रबड़ का सामान	44.61 33.38	-	11.23	1.62 1.47	3.09
9	समस्तीपुर 1	1999-2000 08/2001	मोटर साईकिल तथा पुर्जे	16.42 10.67	-	5.75	0.70 0.64	1.34
	14	कुल		**4,749.08 4,183.43**	**758.55 429.64**	**894.56**	**88.59 80.92**	**169.51**

इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा (नवम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

- गया अंचल में कर निर्धारण अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि सितम्बर तथा नवम्बर 2002 के बीच जब कर निर्धारण अधिकारी निर्धारण पूर्ण कर रहे थें तो पाया कि 8.34 करोड़ रूपये की बिक्री राशि का छिपाव किया गया जिसे व्यवसायी द्वारा 1998–1999 तथा 1999–2000 की अवधि में दाखिल विवरण में दर्शाया नहीं गया था। कर निर्धारी पदाधिकारी ने छिपाये गये राशि पर करारोपण किया किन्तु, 79.32 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2003) विभाग ने कहा (दिसम्बर 2003) कि मामले की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004)।

- पटना सिटी पूर्वी अंचल में फरवरी 2004 में यह पाया गया कि वा.क.आ.बिहार से सूचना प्राप्त होने पर कर निर्धारी पदाधिकारी ने वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के लिए अगस्त 2003 में 1.85 करोड़ रूपये के क्रय राशि के छिपाव पर कर का पुनर्निर्धारण किया। कर निर्धारी पदाधिकारी ने करारोपित किया किन्तु, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। फलस्वरूप 19.98 लाख रूपये का अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सका।

फरवरी 2004 में इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा कि अर्थदण्ड आरोपित किया जायगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004)।

उपरोक्त मामले सरकार को जनवरी 2004 से मई 2004 के बीच प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004)।

2.4 कर देय बिक्री राशि का गलत निर्धारण

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यवसायी की कर योग्य राशि, उसकी कुल बिक्री राशि का वह हिस्सा होगा जो किसी वस्तु की प्राप्त या प्राप्य बिक्री राशि के साथ, वास्तविक संग्रहित बिक्री कर की राशि घटाने के बाद बचेगी।

- पटना विशेष अंचल में यह पाया गया कि पेट्रोलियम उत्पाद के एक व्यवसायी ने वर्ष 2000–2001 में 90.12 करोड़ रूपये का वास्तविक कर संग्रहण किया (90.02 करोड़ रूपये बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत तथा 0.10 करोड़ रूपये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत), जबकि कर संग्रहण के मद में उसकी कुल राशि से 98.70 करोड़ रूपये की गलत कटौती की गयी। फलस्वरूप, कर देय बिक्री राशि का गलत निर्धारण हुआ जिससे 8.58 करोड़ रूपये के अन्तर राशि पर अधिभार सहित 1.42 करोड़ रूपये का कर कम आरोपित हुआ।

मार्च 2004 में इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा (मार्च 2004) कि मामले की समीक्षा की जायगी। तदन्तर् उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004)।

मामला सरकार को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

- पटना विशेष अंचल में यह पाया गया कि कर निर्धारी पदाधिकारी ने वर्ष 2000–2001 के लिए मार्च 2003 में कर निर्धारण के दौरान एक व्यवसायी के 3.18 करोड़ रूपये के ल्यूब्रिकेन्ट्स के वास्तविक विक्रय के बदले भूलस्वरूप 1.03 करोड़ रूपये के विक्रय पर करारोपित किया। इस प्रकार 2.15 करोड़ रूपये के विक्रय पर करारोपण नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 40.67 लाख रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मार्च 2004 में इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा कि मामले की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामला सरकार को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

2.5 अतिरिक्त कर का कम लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम तथा इसके अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को उसकी सकल विक्रय राशि पर, यदि विशेष रूप से अतिरिक्त कर की देयता से छूट न दी गयी हो, एक प्रतिशत की दर से (शराब को छोड़कर) अतिरिक्त कर देना है।

पटना विशेष अंचल में पेट्रोलियम उत्पाद के दो व्यवसायियों के मामले में निर्धारण वर्ष 2000–2001 के लिए (जनवरी तथा फरवरी 2003 में कर निर्धारित) अतिरिक्त कर 942.05 करोड़ रूपये सही राशि के बदले भूलस्वरूप 861.60 करोड़ रूपये आरोपित किया गया। फलस्वरूप अधिभार सहित 88.49 लाख रूपये का अतिरिक्त कर कम आरोपित हुआ।

फरवरी 2004 में इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा (मार्च 2004) कि मामले की समीक्षा की जायगी। तदन्तर् उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामला सरकार को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

2.6 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत बिहार सरकार ने मई 1996 में एक अधिसूचना जारी कर औद्योगिक इकाईयों को विनिर्मित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर विमुक्ति प्रदान किया। वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं है, के लिए 10 प्रतिशत या राज्य में लागू दर, जो अधिक हो, पर कर आरोप्य है। न्याय निर्णय[13] के अनुसार छूट प्रदान की स्थिति में प्रपत्र "सी" का होना आवश्यक है।

- पटना दक्षिणी अंचल में एक विनिर्माता व्यवसायी को विनिर्मित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर विमुक्ति हेतु प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया। कर निर्धारी पदाधिकारी ने 2000–2001 की अवधि में 3.18 करोड़ रूपये मूल्य के निर्मित इन्गौट की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर विमुक्ति का लाभ प्रदान किया, यद्यपि बिक्री घोषणा प्रपत्र "सी" से समर्थित नहीं था। फलस्वरूप 25.45 लाख रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

नवम्बर 2003 में इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा कि मामला की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामला सरकार को फरवरी 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

- तीन अंचलों के छः व्यवसायियों के मामले में 1997–1998 तथा 2000–2001 के वर्षो के लिए (अगस्त 2000 तथा सितम्बर 2003 के बीच कर निर्धारित), कम दर पर कर आरोपित किया गया यद्यपि 14.18 करोड़ रूपये मूल्य के माल की बिक्री विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं था। फलस्वरूप 56.27 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ, जिसका व्यौरा निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम/व्यवसायियों की सं.	निर्धारण अवधि/ निर्धारण के माह/वर्ष	वस्तु का नाम	घोषणा प्रपत्र के बिना समर्थित बिक्रय	आरोप्य दर आरोपित दर (प्रतिशत)	अवनिर्धारित कर
1.	फारबीसगंज 4	1997-1998 तथा 2000-2001 के मध्य 8/2000 तथा 2/2003 के मध्य	जूट	961.16	6 3	28.83
2.	पाटलिपुत्र 1	1999-2000 12/2002	ट्रैक्टर पुर्जे	71.44	10 4	4.29
3.	गया 1	1998-2000 09/2002, 11/2002	कंक्रीट स्लीपर तथा क्लिप	385.83	10 4	23.15
	कुल			**1,418.43**		**56.27**

नवम्बर तथा दिसम्बर 2003 के मध्य इसे बताये जाने पर विभाग ने नवम्बर तथा दिसम्बर 2003 के मध्य कहा कि मामले की समीक्षा की जायगी। तदन्तर् उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामले सरकार को मार्च 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

2.7 अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई निबंधित व्यवसायी नियत तिथि के अन्दर या बढ़ायी गयी तिथि तक स्वीकृत कर का भुगतान करने में विफल होता है तो

[13] *राजस्थान राज्य बनाम सर्वोत्तम भेजिटेबुल्स प्रोडक्टस(एस. सी.) 1996, 547।*

विहित प्राधिकारी अर्थदण्ड आरोपित करेगा जिसे बढ़ाकर पाँच प्रतिशत किया जा सकता है लेकिन नियत तिथि या बढ़ायी गयी तिथि के बाद प्रथम तीन माह या उसके अंश के लिए कर राशि का ढाई प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए तथा उसके बाद के महीना या उसके अंश के लिए दस प्रतिशत लेकिन पाँच प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

दो अंचलों (गया तथा पटना विशेष) में दिसम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य यह पाया गया कि चार व्यवसायियों ने स्वीकृत कर का भुगतान विलम्ब से किया। 1999–2000 से 2001–2002 से संबंधित वर्षो के लिए विलम्ब चार दिन से 43 महीने तक था। फिर भी, कर निर्धारी प्राधिकारी ने नवम्बर 2002 तथा फरवरी 2003 के बीच कर निर्धारण पूर्ण करने के दौरान 86.53 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

इसे बताये जाने पर उ.आ.वा., गया अंचल ने कहा कि मामला की समीक्षा की जायगी जबकि उ.आ.वा., पटना विशेष अंचल ने कहा कि यदि व्यवसायी के कर का निर्धारण एकबार हो गया तो धारा 16 (9) के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। निर्धारण के समय अर्थदण्ड नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप 86.53 लाख रूपये की हानि हुई।

मामले सरकार को मार्च 2004 तथा मई 2004 में प्रतिवेदित किए गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

2.8 छूट की गलत स्वीकृति

बिहार बिक्री कर (बि.वि.क.) नियम, 1983 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यवसायी जो अपने बिक्री की किसी राशि पर बिक्री कर से छूट का दावा करता है तो उस दावा को विहित प्राधिकारी के समक्ष क्रयादेश, यदि कोई हो, उसके द्वारा निर्गत नकद रसीद, मूल विपत्र तथा विहित प्राधिकारी से प्राप्त प्रपत्र IX "सी" में व्यवसायी द्वारा लिखित बिक्रेता घोषणा (मूल प्रति में) कि राज्य में माल पर बिक्री कर पूर्व में आरोपित है, प्रमाणित करेगा।

फारबिसगंज अंचल में नवम्बर 2003 में यह पाया गया कि दिसम्बर 2002 में कर निर्धारित एक व्यवसायी को झारखंड से 15 नवम्बर 2000 तथा 31 मार्च 2001 के बीच की अवधि में 1.75 करोड़ रूपये के पेट्रोल तथा डीजल के क्रय पर, प्रपत्र IX "सी" के बल पर कर में छूट प्रदान की गयी। छूट की स्वीकृति अनियमित थी क्योंकि खरीद राज्य के बाहर से किया गया था। छूट की गलत स्वीकृति के फलस्वरूप 28.46 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ।

इसे बताये जाने पर विभाग ने नवम्बर 2003 में कहा कि मामले की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामला सरकार को फरवरी 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

अध्याय–III : राज्य उत्पाद

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 97 मामलों में 32.37 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व का अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	सुषव की कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	4	0.98
2	उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती नहीं/विलम्ब से होना	35	16.68
3	अनुज्ञा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं होना	11	0.76
4	कीमत का अधिक भुगतान/वसूली नहीं होना	5	0.04
5	अन्य मामले	42	13.91
	कुल	**97**	**32.37**

वर्ष 2003–2004 के दौरान संबद्ध विभाग ने आठ मामलों में अन्तर्ग्रस्त 0.58 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण को स्वीकार किया जो पूर्ववर्ती वर्षो की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आये।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 6.08 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :

3.2 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम (बि.उ.अ), 1915 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत देशी शराब (दे.श), मसालेदार देशी शराब (म.दे.श) तथा भारत निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श) की खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति समाहर्ता द्वारा निलामी के माध्यम से वार्षिक रूप से बंदोवस्त की जाती है तथा यदि नियत अपसेट/रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो समाहर्ता स्वविवेक से कम शुल्क स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते उत्पाद आयुक्त द्वारा इसकी अनुमति दे दी जाय। विभाग ने सभी समाहर्ताओं/उपायुक्तों को अबंदोवस्त उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का निर्देश (जून 1995) जारी किया।

छः उत्पाद कार्यालयों[1] में यह पाया गया कि दिसम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 में 27 दे.श., 40 म.दे.श. तथा 21 भा.नि.वि.श. की दुकाने वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान अबंदोबस्त या विभागीय स्तर पर असंचालित रहीं। इसके फलस्वरूप 5.08 करोड़ रूपये के उत्पाद शुल्क तथा अनुज्ञा शुल्क की हानि हुई जैसा कि दुकान के लिए निश्चित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू. प्र. मा) तथा रक्षित शुल्क के आधार पर गणना किया गया।

दिसम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 में इसे बताये जाने पर सहायक उत्पाद आयुक्त (सउ.आ), पटना तथा उत्पाद अधीक्षक (उ.अ), समस्तीपुर ने दिसम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 में कहा कि प्रयत्नों के बावजूद डाककर्ताओं के अभाव में दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी। चार कार्यालयों के उ.अ.[2] ने अगस्त तथा सितम्बर 2004 के बीच कहा कि दुकानों को विभागीय स्तर पर नहीं चलाया जा सका क्योंकि विभाग ने दुकानों को चलाने के ढंग के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया।

[1] *बेतिया, भागलपुर–सह–बांका, नालंदा, पटना, समस्तीपुर तथा सारण।*

[2] *बेतिया, भागलपुर–सह–बांका, नालंदा तथा सारण।*

को विभागीय स्तर पर नहीं चलाया जा सका क्योंकि विभाग ने दुकानों को चलाने के ढंग के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया।

विभाग के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाने अथवा उसे रक्षित फीस से कम पर बंदोबस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

मामले सरकार को मार्च तथा जून 2004 के बीच प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

3.3 विखंडन के पश्चात् उत्पाद दुकानों की बदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

दुकानों की बंदोबस्ती हेतु विभाग द्वारा जारी बिक्री अधिसूचना (फरवरी 2002) के शर्त संख्या 14 (बी) के अन्तर्गत प्रत्येक डाककर्ताओं को डाक के तुरत बाद छः महीनों का अनुज्ञा शुल्क जमा करना होता है। अनुज्ञा शुल्क की शेष राशि जुलाई तथा दिसम्बर के मध्य समान मासिक किश्तों में हर महीने की दस तारीख तक जमा करना होता है, जिसके विफल होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायगी तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को दे.श., म.दे.श., भा.नि.वि.श, तथा बीयर का अनुमत्य न्यू.प्र.मा. का उठाव महीने के अंतिम दिन तक करना होगा। बिक्री अधिसूचना के शर्तो को पूरा करने में विफल होने पर बि.उ.अ. की धारा 42 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्यवाही चलाया जाना है। तदन्तर, जून 1995 के विभागीय अनुदेशों के अन्तर्गत अबंदोबस्त उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाया जाना है।

दो उत्पाद कार्यालयों (नालन्दा तथा सारण) में यह पाया गया (सितम्बर तथा दिसम्बर 2002) कि खुदरा बिक्रेता द्वारा अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं करने तथा न्यू.प्र.मा. से कम उठाव करने के कारण सितम्बर तथा दिसम्बर 2002 के मध्य छः दे.श. तथा नौ म.दे.श. के दुकानों की अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी गयी। विखंडन के बाद मार्च 2003 तक ये दुकान अबंदोबस्त रहे तथा उन दुकानों को विभागीय स्तर पर भी नहीं चलाया गया। फलस्वरूप 17.72 लाख रूपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई जैसा कि दुकान के लिए निश्चित न्यू.प्र.मा. तथा रक्षित शुल्क के आधार पर गणना किया गया।

इसे दिसम्बर 2003 में बताये जाने पर उ.अ., नालन्दा तथा सारण ने कहा कि प्रयत्नों के बावजूद डाककर्ताओं के अभाव में दुकानें बंदोबस्त नहीं की जा सकी तथा दुकानों को विभागीय स्तर पर भी नहीं चलाया जा सका क्योंकि विभाग ने दुकानों को चलाने के ढंग के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया था।

विभाग के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि अनुदेशों का उल्लंघन कर अबंदोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर पर नहीं चलाया गया।

मामला सरकार को मार्च 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

3.4 छोआ से कम सुषव निकाले जाने के कारण राजस्व की हानि

11 जनवरी 2000 को निर्गत अधिसूचना के साथ पठित बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आसवन गृह संचालक छोआ में उपस्थित शर्करा अपचायक से कम से कम 92 लन्दन प्रूफ लीटर (एल.पी.एल) (52.5 अल्कोहलिक लीटर) प्रति क्विन्टल की दर से अल्कोहल निकालने के लिए उत्तरदायी होगा।

31,31,732.20 एल.पी.एल. अल्कोहल वास्तविक रूप से निकाला गया। 57,231.65 एल.पी. एल. सुषव कम निकाले जाने के फलस्वरूप 57.23 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताये जाने पर उ.अ. ने कहा (अक्टूबर 2003) कि समीक्षोपरान्त वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

मामला सरकार को फरवरी 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

3.5 खुदरा विक्रेता को अनुचित लाभ

बिक्री अधिसूचना की शर्त 18 के अन्तर्गत प्रत्येक डाककर्ता को दे.श., म.दे.श. तथा भा.नि.वि. श. का एक निश्चित न्यू.प्र.मा. का उठाव करना है, जिसमें विफल रहने पर दोषी अनुज्ञप्तिधारी दंड के हकदार हैं अथवा बि.उ.अ., 1915 की धारा 68 तथा 42 के अन्तर्गत उनके अनुज्ञा पत्रों को विखंडित कर दिया जायगा। तदन्तर, बिक्री अधिसूचना की शर्त 15 (ख) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी आपत्ति रहित स्थान उपलब्ध कराने के लिए जिम्मदार है तथा यदि वह एक महीने के अन्दर दुकान शुरू करने में विफल होता है तो किसी सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं उसके द्वारा जमा कराये गये अग्रिम फीस की वापसी तथा जमानत राशि लौटाये बगैर अनुज्ञा पत्र विखंडित कर दिया जायगा।

स.उ.आ., पटना के अभिलेखों की नमूना जॉच से उद्घटित हुआ कि दे.श. दुकान, लोदीपुर मार्च 2002 में 35,300 रूपये मासिक अनुज्ञा शुल्क पर बंदोवस्त हुआ। अनुज्ञप्तिधारी ने 2002–2003 के पूरे वर्ष के लिए अनुज्ञा शुल्क जमा किया किन्तु, दुकान के लिए आपत्ति रहित स्थान उपलब्ध नहीं करा सकने के कारण दुकान नहीं खोल सका। विभाग ने अनुज्ञा पत्र को विखंडित कर दुकान को पुनर्नीलाम/विभागीय स्तर पर चलाने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके फलस्वरूप 16.59 लाख रूपये के उत्पाद शुल्क की हानि हुई जैसा कि दुकान के लिए निश्चित दे.श. के न्यू.प्र.मा. के आधार पर गणना किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान इसे बताये जाने पर विभाग ने दिसम्बर 2003 में कहा कि क्षेत्र में आपत्ति रहित स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण दुकान नहीं खोला जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्यांकि विभाग अनुज्ञप्ति विखंडित करने एवं दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाने में विफल रहा।

मामला सरकार को मार्च 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

3.6 अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में चूक के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

बिहार उत्पाद अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों में प्रावधान है कि उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती में निलामी के समय जिस व्यक्ति की डाक पीठासीन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है उसे तुरत छः महीने का अग्रिम अनुज्ञा शुल्क जमा करना होता है। उत्पाद दुकानों की बिक्री के लिए विहित प्रपत्र 127 में प्रति वर्ष निकाले जाने वाली अधिसूचना के अनुसार जब किसी दुकान के लिए डाक में अंतिम बोली तय हो जाती है, तो खरीददार सरकार पर होने वाली कोई भी हानि, जो उसके द्वारा बिक्री के समय कीमत के भुगतान में विफल रहने के फलस्वरूप, दुकान की पुनर्बिक्री कम कीमत पर करने अथवा दुकान अबंदोबस्त रहने के कारण हुई हो, के लिए जिम्मेदार होता है। तदन्तर, अधिसूचना

में यह भी प्रावधान है कि दुकान के रक्षित मूल्य के समतुल्य जमानत राशि डाककर्ता द्वारा जमा करवाना है।

उत्पाद जिला भागलपुर–सह–बाँका में एक दे.श., एक म.दे.श. तथा एक भा.नि.वि.श. दुकान की बंदोबस्ती निलामी के माध्यम से वर्ष 2002–2003 के लिए जमानत राशि लिए बगैर क्रमशः 20,812 रूपये प्रतिमाह, 1,200 रूपये प्रतिमाह तथा 21,318 रूपये प्रतिमाह मासिक अनुज्ञा शुल्क पर मार्च 2002 तथा अप्रील 2002 के मध्य की गयी। इन तीनों दुकानों के डाककर्ता नियमानुसार आवश्यक छः महीने का अग्रिम अनुज्ञा शुल्क जमा करने में विफल रहे तथा दुकान पूरे वित्तीय वर्ष तक अबंदोबस्त रहे। विभाग ने बंदोबस्ती निरस्त करने तथा विभागीय स्तर पर दुकानों को चलाने की व्यवस्था करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप 8.90 लाख रूपये अनुज्ञा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के रूप में राजस्व की हानि हुई जैसा कि दुकान के लिए निश्चित रक्षित शुल्क तथा न्यू.प्र.मा. के आधार पर गणना किया गया।

इसे सितम्बर 2003 में बताये जाने पर उ.अ. ने कहा कि समीक्षा के बाद कार्रवाई की जायगी। तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामला सरकार को अप्रील 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

अध्याय – IV : मोटर वाहनों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 103 मामलों में 79.63 करोड़ रूपये के मोटर वाहन कर, फीस, अर्थदण्ड, दण्ड आदि का कम/नहीं लगाया जाना उद्घटित हुआ जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की सं.	राशि
1	करों का आरोपण नहीं/कम किया जाना	15	4.08
2	अन्य मामले	88	75.55
	कुल	**103**	**79.63**

वर्ष 2003–2004 के दौरान संबंधित विभाग ने 0.89 करोड़ रूपये के 5 मामलों में अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान बताया जा चुका है।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 8.60 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त हैं, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं:

4.2 कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी

बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि.मो.वा.क.) अधिनियम, 1994 समय–समय पर संशोधित तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी वाहन पर कर वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरम्भ से 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है। समय से कर का भुगतान नहीं करने पर विहित दर पर अर्थदण्ड लगता है। तदन्तर, (मो.वा.) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि वाहन मालिक अपना आवास/व्यवसाय का स्थान बदल दिया हो तो उसे 30 दिनों के अन्दर मूल पंजीयन प्राधिकारी को अपना नया पता सूचित करना होगा।

15 जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.का.)[1] में सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य देखा गया कि 875 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया था तथा कर भुगतान नहीं करने का कोई कारण भी अभिलेखित नहीं था। जि.प.का., दरभंगा के एक मामला को छोड़कर जहाँ माँग पत्र निर्गत किया गया किन्तु कर अबतक वसूल नहीं हुआ, विभाग द्वारा कर वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप अप्रील 1999 से जनवरी 2004 की अवधि से संबंधित 5.39 करोड़ रूपये अर्थदण्ड सहित 8.09 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं की गयी।

सितम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य लेखापरीक्षा में बताये जाने पर जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.), दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर ने फरवरी 2004 में कहा कि माँग पत्र निर्गत किये जा चुके हैं तथा अन्य जि.प.अ. ने सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य कहा कि बकाया कर के लिए माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदपश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

[1] *औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सासाराम तथा सिवान।*

मामले सरकार को जून 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

4.3 वाहनों से कर की वसूली नहीं होना

बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी खास अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तो उसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, कर प्रतीक (टैक्स टोकन) आदि से समर्थित हो तथा कर प्रतीक एवं निबंधन प्रमाणपत्र के समर्पण के साथ इस प्रकार घोषणा करता हो। यदि कथित अवधि के विस्तार की जरूरत हो, वाहन मालिक को, संबंधित करारोपण अधिकारी को अवधि विस्तार हेतु वचनपत्र जमा करना चाहिए। दिसम्बर 1990 में राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.) द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार जि.प.अ. को चाहिए कि उपयोग में नहीं लाये जाने वाले वाहनों के समर्पण को स्वीकार करने से पूर्व के बकाये कर की वसूली कर ली जाय।

छः जि.प.का.[2] में सितम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य यह देखा गया कि 77 मोटर वाहनों के कागजात दिसम्बर 2001 तथा दिसम्बर 2002 के मध्य अभ्यर्पित किये गये परन्तु किसी भी वाहन मालिक द्वारा अवधि बढ़ाने हेतु वचनपत्र प्राप्त नहीं हुए। ऐसे वचनपत्र के अभाव में वाहन मालिक जुलाई 2002 से फरवरी 2004 के बीच की अवधि के लिए 30.58 लाख रूपये के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

सितम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य लेखापरीक्षा में बताये जाने पर जि.प.अ., सासाराम ने कहा कि माँग पत्र निर्गत किये जा चुके है जबकि जि.प.अ., मुजफ्फरपुर ने कहा कि माँग पत्र निर्गत किये जा रहे है तथा तीन जि.प.अ.[3] ने कहा कि कार्रवाई की जायगी। तदपश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामले सरकार को फरवरी तथा मई 2004 के मध्य प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

4.4 बैठने की क्षमता का संशोधन नहीं/कम करने के कारण कर का अवनिर्धारण

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1940 के नियम 126 के प्रावधानों तथा दिसम्बर 1998 एवं सितम्बर 2000 में रा.प.आ. द्वारा निकाले गये कार्यपालक अनुदेशों के अन्तर्गत लोकसेवा वाहनों के सीट की क्षमता का निर्धारण वाहनों के चक्का पर आधारित होना चाहिए। पर्यटक कोच के सीटों की क्षमता का निर्धारण केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। करारोपण बि.मो.वा.क. अधिनियम के अनुसूची I तथा II में उल्लिखित दर पर किया जाना चाहिए।

अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2003 के मध्य पाँच जि.प.अ.[4] द्वारा निर्गत निबंधन पंजियों तथा विवरणियों की जाँच के दौरान पाया गया कि 17 वाहनों के सीटों की क्षमता का पुनर्निर्धारण जनवरी तथा नवम्बर 1999 के मध्य किया गया परन्तु उन वाहनों से संशोधित दर पर कर की वसूली पुनर्निर्धारण की तिथि के बदले अक्टूबर 2000 तथा जुलाई 2002 के

[2] *भागलपुर, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ तथा सासाराम।*
[3] *गया, मुंगेर तथा पूर्णियाँ।*
[4] *औरंगाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ तथा सासाराम।*

मध्य की अवधि से की गयी एवं अन्य 38 वाहनों के सीटों की क्षमता का पुनर्निर्धारण चक्कों के आधार पर नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 20.24 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं/कम की गयी।

अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2003 के मध्य लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर जि.प.अ., पूर्णियाँ ने कहा कि पुनर्निर्धारण की कार्रवाई की जायगी तथा अन्तर कर की वसूली कर ली जायगी जबकि अन्य जि.प.अ. ने कहा कि समीक्षा के बाद कार्रवाई की जायगी। तदपश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामले सरकार को फरवरी 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 190.37 करोड़ रूपये के कर, फीस, शुल्क का अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि आदि के 498 मामलों का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की सं.	राशि
क	**मुद्रांक तथा निबंधन फीस**		
1	संशोधित दर के विलंबित प्राप्ति के कारण मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली	2	0.33
2	अन्य मामले	82	3.71
3	मुद्रांक शुल्क पर समीक्षा	1	41.29
	कुल	**85**	**45.33**
ख	**भू –राजस्व**		
1	उपकर का नहीं/कम आरोपण तथा/या बकाया उपकर पर ब्याज	59	24.57
2	सलामी तथा व्यवसायिक लगान का निर्धारण नहीं होना	54	10.06
3	सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	52	1.50
4	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	51	1.95
5	अनवीकरण/पट्टाकृत *खासमहाल* भूमि की बंधों तथा शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व की हानि	1	6.70
6	अन्य मामले	163	77.12
	कुल	**380**	**121.90**
ग	**शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर**		
	शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर का सरकारी खाते में जमा नहीं होना	1	4.13
	कुल	**1**	**4.13**
घ	**विद्युत शुल्क**		
1	निर्धारित कर तथा अर्थदण्ड की वसूली नहीं होना	1	10.41
	कुल	**1**	**10.41**
च	**प्रवेश कर/पी.जी. कर**		
1	कर का नहीं/कम आरोपण	13	0.15
2	अर्थदण्ड का आरोपण नहीं होना	1	0.01
3	अन्य मामले	1	0.12
	कुल	**15**	**0.28**
छ	**ईंख पर कर**		
1	फैक्टरी से चीनी निकालने में कर का आरोपन नहीं होना	3	0.91
2	अन्य मामले	13	7.41
	कुल	**16**	**8.32**
	कुल योग	**498**	**190.37**

वर्ष 2003–2004 के दौरान संबंधित विभागों ने दो मामलों में सन्निहित 6.97 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिसे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेखा परीक्षा में बताये गये थे।

दृष्टांतस्वरूप **"मुद्रांक शुल्क"** पर एक समीक्षा सहित 62.53 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :

क: मुद्रांक शुल्क

5.2 समीक्षा : मुद्रांक शुल्क पर समीक्षा

मुख्याकर्षण

विभाग द्वारा वर्ष 1993–1994 से 2002–2003 तक के प्राप्तियों के विभागीय आँकड़े तथा वित्त लेखा के आँकड़ों के बीच 18.59 करोड़ रूपये की विषमता का समाधान नहीं किया गया।

(कंडिका 5.2.6)

12 जिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि दो कोषागार पदाधिकारियों ने मई 2004 तक मुद्रांक पर छः अंकों की क्रम संख्या का अभिलेखन आरम्भ नहीं किया था तथा सात जिलों में छः अंकीय संख्या को आरम्भ करने एवं विवरणों को संबंधित जिला अवर निबंधकों को दस्तावेज निष्पादन में मुद्रांक की जाँच पड़ताल के लिए भेजने में अत्यधिक विलंब हुआ।

(कंडिका 5.2.8)

नमूना जाँच किये गये 12 जिलों में 1,004 में से मात्र 858 मुद्रांक बिक्रेता अपनी लेखाओं का प्रस्तुतिकरण संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपसमाहर्त्ता को करते थे। इनमें से 140 बिक्रेताओं की लेखाओं की जाँच में पाया गया कि जिला अवर निबंधकों के अभिलेखों के साथ निरीक्षण/जाँच/मिलान कोषागार पदाधिकारियों/उपसमाहर्त्ता द्वारा नहीं किया गया।

पाँच जि.अ.नि. कार्यालयों में वर्ष 1995–1996 से 2002–2003 के दौरान दस्तावेजों के निष्पादन में 10.02 करोड़ रूपये के गैर न्यायिक मुद्रांक का उपयोग बिक्री की तुलना में अधिक हुआ।

(कंडिका 5.2.9)

एक कोषागार में जनवरी 2004 में 3.06 करोड़ रूपये के मुद्रांक की चोरी हो गयी।

(कंडिका 5.2.11)

अन्य राज्यों के अनधिकृत बिक्रेताओं के द्वारा 2.87 करोड़ रूपये के मुद्रांक की बिक्री के फलस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 5.2.13)

निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने तथा उनके प्रतिवेदनों, यदि कोई हो, पर कार्रवाई करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं था। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अस्तित्वविहीन थी।

(कंडिका 5.2.17)

प्रस्तावना

5.2.1 समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा इसके अधीन बने नियमों द्वारा निबंधन विभाग में निबंधित दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क लगाने का नियमन किया जाता है।

अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन विभाग के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निबंधन हेतु दाखिल दस्तावेजों के निबंधन तथा मुद्रांक शुल्क के संग्रहण तक सीमित है। बिहार मुद्रांक नियमावली, 1954 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग संबंधित जिलों के समाहर्ता के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी मुद्रांक बिक्रेताओं की बहाली करने के लिए भी अधिकृत है।

राज्य में सचिव–सह–महानिरीक्षक, निबंधन (म.नि.नि.), बिहार, पटना सभी श्रेणियों के मुद्रांक के लिए माँगपत्र भारतीय प्रतिभूति मुद्रण प्रेस (भा.प्र.मु.प्रे.), नासिक तथा प्रतिभूति मुद्रण प्रेस (प्र.मु.प्रे.), हैदराबाद को भेजता है। बिहार के 35 मुद्रांक कोषागार जो संबंधित समाहर्ता के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत हैं, में से एक कोषागार (सचिवालय कोषागार, पटना) नोडल कोषागार के रूप में मनोनीत किया गया है (अगस्त 1991)। कोषागार पदाधिकारी (को.प.), सचिवालय कोषागार भा.प्र.मु.प्रे. तथा प्र.मु.प्रे. से मुद्रांक की प्राप्ति एवं उसे अन्य जिला कोषागारों में भेजने के कार्य का संचालन करता है। जनता में मुद्रांक की बिक्री या तो सीधे कोषागार से या अनुज्ञप्तिधारी मुद्रांक बिक्रेताओं के माध्यम से की जाती है।

प्रेषित माल की प्राप्ति पर, नोडल कोषागार मुद्रांक का मुहरबंद पैकेट म.नि.नि. द्वारा निश्चित तिथि को अन्य मुद्रांक कोषागार को भेजता है। 5,000 रूपये मूल्य वर्ग तक के हर मुद्रांक की बिक्री कोषागार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी मुद्रांक बिक्रेताओं से कोषागार चालान के माध्यम से बिक्रय मूल्य की प्राप्ति पर की जाती है जबकि 5,000 रूपये से अधिक मूल्य वर्ग के हर मुद्रांक की बिक्री व्यक्ति से कोषागार चालान के माध्यम से बिक्रय मूल्य की प्राप्ति पर की जाती है। अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेताओं को बेचे गये मुद्रांक तथा भंडार पंजी में बचा हुआ मुद्रांक की लेखा संबंधित कोषागार को अगले महीने की पाँच तारीख तक प्रस्तुत करना है। कोषागार एवं अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेता बेचे गये मुद्रांक की बिक्री की लेखा उप समाहर्ता (उ.स.), (मुद्रांक/विधिक कोषांग) के माध्यम से समाहर्ता को प्रस्तुत करता है जो बिक्रेताओं की लेखा की जाँच करता है तथा समाहर्ता को प्रतिवेदित करता है।

मुद्रांकों की माँग, प्राप्ति तथा बिक्री एवं निबंधन कार्यालयों में मुद्रांक शुल्क के संग्रहण को दर्शाता हुआ एक "फ्लो चार्ट" परिशिष्ट–I में दिया गया है।

संगठनात्मक ढाँचा

5.2.2 शिखर स्तर पर म.नि.नि. अधिनियम तथा नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। उन्हें एक उप महानिरीक्षक, निबंधन (उ.म.नि.), चार सहायक महानिरीक्षक, निबंधन (स.म.नि.) तथा प्रमंडल स्तर पर चार निरीक्षकों की सहायता प्राप्त है। उ.म.नि./स.म.नि. मुद्रांकों की माँग तथा आपूर्त्ति के लिए जबकि निरीक्षक वर्ष में एकबार अपने क्षेत्र के सभी कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा म.नि.नि. के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।

म.नि.नि. द्वारा राज्य में जिला अवर निबंधक/अनुमंडल अवर निबंधक, बीमा/शेयर सेक्टर में उपयोग के लिए मुद्रांक कोषागार के को.प. से प्राप्त माँग पत्रों के आधार पर भा.प्र.मु.प्रे. तथा प्र.मु.प्रे. से मुद्रांक की प्राप्ति की जाती है।

राज्य में 38 जि.अ.नि. तथा 71 अ.नि. कार्यालय हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जि. अ.नि./अ.नि. मुद्रांक शुल्क लगाने तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। संदर्भित, अवरोधित मुद्रांकों तथा वापसी संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए तथा कोषागारों द्वारा निर्गत मुद्रांकों की जाँच के लिए भी बिहार मुद्रांक नियमावली, 1954 के अन्तर्गत उ.स. (मुद्रांक/विधिक कोषांग) उत्तरदायी है।

विभिन्न कोषागारों में भेजने हेतु मुद्रांक का भंडारण केन्द्रीय मुद्रांक डिपो (के.मु.डि.), पटना में किया जाता है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

5.2.3 वर्ष 1993–1994 से 2002–2003 की अवधि के लिए म.नि.नि. तथा बिहार के 38 जिलों में से 12[1], को.प., जि.अ.नि., अ.नि. तथा उ.स. के अभिलेखों के संदर्भ में समीक्षा का प्रतिपादन जनवरी तथा मई 2004 के मध्य किया गया।

उद्देश्य

5.2.4 समीक्षा का प्रतिपादन निम्न उद्देश्य से किया गया :

- मुद्रांक की पूर्ति के लिए माँग की योजना तथा मुद्रांक शुल्क से राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान की तैयारी की जाँच;
- विभिन्न कोषागारों को/से मुद्रांक की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाँच;
- आवश्यकता, माँग, भंडार लेखांकन, बिक्री तथा आमदनी की निर्धारण प्रणाली की जाँच;
- मुद्रांक शुल्क के अन्तर्गत राजस्व के रिसाव का पता लगाना; तथा
- बीमा प्रक्षेत्र में क्रिया कलाप का विश्लेषण।

बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता

5.2.5 बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति 1996–1997 से 2002–2003 के दौरान निम्नवत् थीं :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	विचलन (+)वृद्धि/ (-) ह्रास	विचलन का प्रतिशत
1996-1997	347.85	227.41	(-) 120.44	(-) 35
1997-1998	417.57	253.13	(-) 164.44	(-) 39
1998-1999	325.00	279.34	(-) 45.66	(-) 14
1999-2000	372.50	325.77	(-) 46.73	(-) 13
2000-2001	343.48	301.86	(-) 41.62	(-) 12
2001-2002	340.00	304.44	(-) 35.56	(-) 10
2002-2003	400.00	348.21	(-) 51.79	(-) 13

बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारणों की प्राप्ति नहीं हुई है।

प्राप्तियों (वास्तविक) के विभागीय आँकड़ों तथा वित्त लेखा के अनुसार आँकड़ों के बीच विभिन्नता

5.2.6 विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार वर्ष 1993–1994 से 2002–2003 के दौरान 2,574.92 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली हुई जबकि वित्त लेखा के अनुसार विभाग द्वारा 2,556.33 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली दर्शायी गयी जो निम्नवत हैं :

[1] *बेगुसराय, आरा, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियाँ, सारण, सीवान तथा वैशाली ।*

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	विभाग के अनुसार राजस्व की वसूली	वित्त लेखा के अनुसार राजस्व की वसूली	विभिन्नता ह्रास (-) वृद्धि (+)
1993-1994	162.57	157.94	(-) 4.63
1994-1995	155.25	152.53	(-) 2.72
1995-1996	206.25	205.82	(-) 0.43
1996-1997	219.75	227.41	(+) 7.66
1997-1998	242.82	253.13	(+)10.31
1998-1999	268.10	279.34	(+)11.24
1999-2000	339.14	325.77	(-) 13.37
2000-2001	279.24	301.86	(+) 22.62
2001-2002	314.31	304.44	(-) 9.87
2002-2003	387.49	348.09	(-) 39.40
कुल	**2,574.92**	**2,556.33**	**(-) 18.59**

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि 18.59 करोड़ रूपये की बिक्री को या तो सरकारी लेखे में लेखापित नहीं किया गया या कोषागार चालान वास्तविक रूप से बैंक के माध्यम से नहीं भेजा गया। इस प्रकार विक्रय मूल्य के कम लेखापित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

गैर न्यायिक मुद्रांक की आवश्यकता की माँग का अवास्तविक निर्धारण

5.2.7 बिहार मुद्रांक नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के 10 अप्रील तक जिला कोषागारों से प्राप्त वार्षिक पूर्वानुमान के आधार पर अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष के 15 जून तक भा. प्र.मु.प्रे. तथा प्र.मु.प्रे. को राज्य में मुद्रांक की आवश्यकता का एकीकृत पूर्वानुमान म.नि.नि. द्वारा भेजा जाना है। मुद्रांकों के प्रत्येक मूल्य वर्ग के लिए अलग स्तम्भ में सभी अनुमानों को रखना (आपूर्ति आवश्यक हो या न हो), पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान वास्तविक निर्गम, पिछले तीन वर्षों के निर्गम पर आधारित औसत वार्षिक खपत, एक अप्रील का हस्तशेष, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित निर्गम तथा मुद्रांक का पूर्वानुमान जिसे चालू वर्ष में केन्द्रीय मुद्रांक भंडार से आपूर्ति की जानी है; आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 12 जिला कोषागारों में से मात्र दो (मुजफ्फरपुर तथा पूर्णियाँ) जिला कोषागारों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु म.नि.नि. को माँगपत्र भेजा। विहित नियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति में दस प्रतिशत की अभिवृद्धि के आधार पर म.नि.नि. के द्वारा मुद्रांक की आवश्यकता का निर्धारण किया गया। म.नि.नि., बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार भा.प्र.मु.प्रे. तथा प्र.मु.प्रे. से मांगे गये गैर न्यायिक मुद्रांक एवं माँगपत्र के विरूद्ध केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, पटना में 1996–1997 से 2002–2003 के दौरान प्राप्त मुद्रांक इस प्रकार था :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	माँग	आपूर्ति	आपूर्ति में कमी	कमी की प्रतिशतता
1996-1997	351.83	36.90	314.93	89.51
1997-1998	767.04	111.73	655.31	85.43
1998-1999	402.57	284.18	118.39	29.41
1999-2000	387.27	113.51	273.76	70.69
2000-2001	625.34	356.00	269.34	43.07
2001-2002	1,601.82	70.27	1,531.55	95.61
2002-2003	587.54	298.38	289.16	49.21
कुल	**4,723.41**	**1,270.97**	**3,452.44**	**73.10**

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 1996–1997 से 2002–2003 के दौरान 4,723.41 करोड़ रूपये की माँग के विरूद्ध 1,270.97 करोड़ रूपये मात्र के मुद्रांक की प्राप्ति हुई, फलस्वरूप माँग के विरूद्ध आपूर्ति में 73 प्रतिशत का सकल ह्रास हुआ। 1996–1997 से 2002–2003 के दौरान मुद्रांक की आपूर्ति में 29 से 96 प्रतिशत के मध्य कमी आई।

यद्यपि म.नि.नि. ने राज्य में आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुद्रांक की आपूर्ति के लिए परमावश्यक माँग भा.प्र.मु.प्रे. को भेजा (जनवरी 2003)।

वर्ष 1996–1997 से 2002–2003 तक के लिए नमूना जाँच किये गये 12 कोषागारों में शेष, आपूर्ति तथा मुद्रांकों की बिक्री की एकीकृत स्थिति निम्नवत् थी :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	आदि शेष	आपूर्ति	बिक्री	अन्तशेष
1996-1997	309.99	18.23	64.92	263.30
1997-1998	263.30	48.50	73.10	238.70
1998-1999	238.70	63.15	84.27	217.58
1999-2000	217.58	114.36	99.59	232.35
2000-2001	232.35	123.95	110.43	245.87
2001-2002	245.87	97.73	128.10	215.50
2002-2003	215.50	124.73	162.10	177.85

नमूना जाँच किये गये कोषागारों में मुद्रांक की लेखा से संबंधित अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि 1996–1997 से 2002–2003 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में मुद्रांकों के अन्तशेष की राशि 177.85 करोड़ रूपये तथा 263.30 करोड़ रूपये के मध्य थी, जो वर्ष के दौरान बेचे गये मुद्रांकों की राशि से बहुत अधिक थी। समवर्ती अवधि में बेचे गये मुद्रांकों की राशि 64.92 करोड़ रूपये तथा 162.10 करोड़ रूपये के मध्य रही। अन्तशेष इतना अधिक था कि अगले वर्षों की आवश्यकता की पूर्ति भी की जा सकती थी। म.नि.नि. द्वारा कोषागारों को वर्ष के दौरान की गई आपूर्ति के फलस्वरूप भंडार में ढेर लग गया। म. नि.नि. की अत्यावश्यक माँग आपूर्तिकर्ता को भेजा जाना उचित नहीं था। मुद्रांक की आवश्यकता का निर्धारण तथा माँग बहुत अवास्तविक था।

मुद्रांकों की बिक्री तथा लेखांकन में अनियमितताएँ

5.2.8 नवम्बर 1996 में विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेश के अनुसार कोषागार से बिक्री के पूर्व 500 रूपये तथा उससे अधिक के हर गैर न्यायिक मुद्रांक पर बिक्री वर्ष से संदर्भित छः अंकीय क्रम संख्या का अभिलेखन कोषागार पदाधिकारियों को करना आवश्यक कर दिया गया था। बेचे गये मुद्रांकों की पूर्ण विवरण सहित सूची संबंधित जि.अ.नि./अ.नि. को भेजा जाना भी को.प. के लिए आवश्यक था। जाली मुद्रांक की उपयोगिता के विरूद्ध जाँच के रूप में दस्तावेजों के निबंधन के समय जाँच हेतु कोषागार द्वारा बेचे गये मुद्रांकों की क्रम संख्या दर्शाते हुए पंजी का संधारण जि.अ.नि./अ.नि. को करना है (मूल्य वर्ग तथा बिक्रेतावार/पक्षवार)।

नमूना जाँच किये गये 12 जिलों में यह पाया गया कि आरा तथा गया कोषागारों में निर्गत मुद्रांक पर छः अंकीय संख्या का अभिलेखन आरम्भ नहीं हुआ था (मई 2004)। तीन जिला कोषागारों (बेगूसराय, खगड़िया तथा नालन्दा) से लेखा परीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। शेष सात जिला कोषागारों की स्थिति निम्नवत थी :

जिला का नाम	क्रमांक आरम्भ करने का माह	जि.अ.नि. को विवरण जमा करने का माह
मधुबनी	दिसम्बर 2003	दिसम्बर 2003
सिवान	जून 1997	दिसम्बर 2001
पूर्णियाँ	अप्रील 1998	जून 2000

जिला का नाम	क्रमांक आरम्भ करने का माह	जि.अ.नि. को विवरण जमा करने का माह
मुजफ्फरपुर	अगस्त 1998	अगस्त 1998
पटना	मई 1997	मई 1997
छपरा	जनवरी 1997	जनवरी 1998
वैशाली	अगस्त 1997	अगस्त 1997

उपर्युक्त तालिका से प्रकट होता है कि कोषागार पदाधिकारियों द्वारा निर्गत मुद्रांकों पर छः अंकीय संख्या के अभिलेखन आरम्भ करने में तथा संबंधित जि.अ.नि./अ.नि. को विवरण भेजने में अत्यन्त विलंब हुआ।

5.2.9 मुद्रांक बिक्रेता द्वारा न्यायिक तथा गैर न्यायिक मुद्रांक का क्रय–बिक्रय उनके अनुज्ञा पत्र में वर्णित क्षेत्र (निबंधन कार्यालय) तक सीमित था। मुद्रांक बिक्रेता को मुद्रांक की राशि तथा मूल्य वर्ग के साथ भंडार लेखा का संधारण करना आवश्यक था। तदन्तर, मुद्रांक बिक्रेताओं को संधारित बिक्री लेखा पंजी में उपभोक्ता का नाम जिससे मुद्रांक बेचा गया, उस मुद्रांक का मूल्य वर्ग तथा राशि का अभिलेखन करना था। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी मुद्रांक बिक्रेता महीने के दौरान मुद्रांक की कुल प्राप्ति तथा बिक्री दर्शाते हुए मुद्रांक के भंडार की विवरणी अगले महीने की पाँच तारीख तक संबंधित को.प. तथा उ.स. (मुद्रांक/विधिक कोषांग) को प्रस्तुत करेगा।

उ.स. (मुद्रांक/विधिक कोषांग) को.प. द्वारा निर्गत मुद्रांक, बिक्रेताओं द्वारा किया गया बिक्रय तथा जि.अ.नि./अ.नि. कार्यालयों में उपयोग किये गये मुद्रांकों का तुलनात्मक अध्ययन जि. अ.नि./को.प. तथा बिक्रेताओं से प्राप्त विवरणों से करेगा एवं समाहर्ता को प्रतिवेदित करेगा। लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये विसंगतियों की चर्चा अगले कंडिकाओं में की गयी हैं :

- 12 जिलों[2] में 1,004 बिक्रेताओं में से मात्र 858 अपनी लेखा को.प./उ.स. के समक्ष (294 को.प. को, 564 उ.स. को) प्रस्तुत करते रहे थे। 858 प्रस्तुत लेखाओं में से 140 की लेखापरीक्षा की गयी। संबंधित को.प./उ.स. द्वारा बिक्रेताओं की लेखा का समुचित निरीक्षण/जाँच नहीं की गयी क्योंकि उसके समर्थन में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
- पाँच जि.अ.नि. कार्यालयों[3] के अभिलेखों की संबंधित कोषागारों से तिर्यक जाँच से 1995–1996 तथा 2002–2003 के मध्य 10.02 करोड़ रूपये के मुद्रांकों का अधिक उपयोग का पता चला जो निम्नवत् हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	जि.अ.नि. कार्यालय का नाम	अवधि के मध्य	अनियमितताओं की प्रकृति	जि.अ.नि. कार्यालय	कोषागार	अधिक
01	पूर्णियाँ, सिवान, वैशाली,, सारण तथा भोजपुर	1995-1996 तथा 2002-2003	कोषागारों द्वारा 104.62 करोड़ रूपये की बिक्री के विरूद्ध जि.अ.नि. कार्यालयों में 114.63 करोड़ रूपये के मुद्रांकों का उपयोग	114.63	104.62	10.01
02	पूर्णियाँ	1997-1998	एक बिक्रेता को जारी 19 फरवरी 1997 को 1,000 रूपये मूल्यवर्ग के 71 मुद्रांकों का जि. अ.नि. में उपयोग जबकि कोषागार अभिलेखों में उसी दिन उस बिक्रेता को मात्र 52 मुद्रांक निर्गत पाये गये	0.0071	0.0052	.0019
03	सिवान	मार्च 1997 तथा अप्रील 1998	5,000 रूपये मूल्यवर्ग के 10 मुद्रांक क्रमांक (2246 तथा 2476 के मध्य) के अपेक्षाकृत कोषागारों द्वारा निर्गत (1 से 2093 तथा 1 से 77) के अतिरिक्त मुद्रांकों का जि.अ.नि. कार्यालय में प्रयोग	0.0050	-	0.0050
कुल						**10.0169**

[2] *आरा, बेगूसराय, छपरा, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सीवान तथा वैशाली।*
[3] *आरा, पूर्णिया, सारण, सीवान तथा वैशाली।*

संबंधित कोषागारों द्वारा गैर न्यायिक मुद्रांक की बिक्री तथा संबंधित जि.अ.नि. में उपयोग में लाये गये मुद्रांक में 10.02 करोड़ रूपये की विषमता से प्रकट हुआ कि जि.अ.नि. कार्यालयों में उपयुक्त मुद्रांक या तो जाली थे या अनधिकृत रूप से प्राप्त किये गये थे।

• जि.अ.नि. कार्यालय पूर्णियाँ में वर्ष 1996–1997 तथा 1997–1998 के लिए बिक्रेताओं की लेखा की जाँच करने पर उद्घटित हुआ कि एक बिक्रेता ने विभिन्न मूल्य वर्गो के मुद्रांक के अन्तशेष को बढ़ाया जो निम्नवत् हैं :

(राशि रूपये में)

मुद्रांकों के वास्तविक/बढ़ाये गये भंडार की तिथिवार अवस्था	मूल्यवर्ग	वास्तविक संख्या	बढ़ायी गयी संख्या	अन्तर	मूल्य
27.04.1996	2,000	15	20	05	10,000
15.05.1996	2,000	24	34	10	20,000
11.6.1997	05	108	208	100	500
	10	07	207	200	2,000
	50	07	57	50	2,500
	100	शून्य	67	67	6,700
	500	11	71	60	30,000
	1,000	17	87	70	70,000
कुल मूल्य					**Rs 1,41,700**

बिक्रेता अपनी लेखा में गैर न्यायिक मुद्रांक का अधिक उपयोग करते आ रहे थे (आठ वर्षों से) किन्तु संबंधित प्राधिकारियों ने कोषागारों से मुद्रांक की बिक्री तथा उनके वास्तविक उपयोग के अन्तर का समाधान करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया, इस प्रकार कार्यपालक अनुदेशों का उल्लंघन हुआ।

इस प्रकार बिक्रेता द्वारा मुद्रांक की गलत लेखा का संधारण तथा उन अधिक मुद्रांकों की बाद में बिक्री से प्रकट हुआ कि 1,41,700 रूपये के संदिग्ध मुद्रांकों की प्राप्ति कोषागार के अलावे अन्य श्रोतों से की गयी। उन मुद्रांकों के जाली होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अधिसूचना को जारी करने में विलम्ब

5.2.10 बिहार मुद्रांक नियमावली के परिशिष्ट–V के अन्तर्गत मुद्रांक की बिक्री के लिए गैर सरकारी व्यक्तियो को अनुज्ञापत्र की स्वीकृति हेतु समाहर्ता अधिकृत है। नवीकरण फीस के रूप में 100 रूपये प्रतिवर्ष की दर पर बिक्रेताओं के अनुज्ञापत्रों के नवीकरण हेतु सरकार ने मई 1999 में एक अधिसूचना जारी किया। दिसम्बर 2002 में अधिसूचना गजट में प्रकाशित हुआ। 1999 या उसके बाद के अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति पर नवीकरण फीस का बकाया वसूल करने के लिए सभी समाहर्ताओं को सितम्बर 2003 में (अधिसूचना जारी होने के लगभग पाँच वर्षों बाद) म.नि.नि. ने आदेश दिया। यदि किसी बिक्रेता का अनुज्ञापत्र विहित प्रक्रिया के अनुसार नवीकृत नहीं होता है तो उसका अनुज्ञापत्र अगले वर्ष के लिए अमान्य समझा जायगा।

पटना जिला में, 74 बिक्रेताओं के अनुज्ञापत्रों को न तो नवीकृत किया गया न निरस्त ही किया गया लेकिन उपरोक्त कार्यपालक अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए उन्हें मुद्रांक दिया

जाता रहा। आवश्यक आदेश समय पर जारी करने में म.नि.नि. विफल रहे तथा समाहर्ता या तो बकाया की वसूली करने में या अनुज्ञापत्रों को अमान्य घोषित करने में विफल रहे जिससे मुद्रांकों की अवैध बिक्री के अलावा 1999 से 2003 की अवधि के लिए 0.30 लाख रूपये के अतिरिक्त राजस्व से सरकार को वंचित रहना पड़ा।

कोषागार से मुद्रांकों की चोरी

5.2.11 बिहार मुद्रांक नियमावली यह प्रावधान करता है कि जब तक किसी स्थान को लोक निर्माण विभाग के किसी पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) द्वारा सुरक्षित तथा उपयुक्त प्रमाणित नहीं कर दिया जाता हो, तब तक उस स्थान को स्ट्राँग रूम के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। निरीक्षण पदाधिकारी सुरक्षित होने का प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा ऐसा प्रमाणपत्र उससे प्राप्त करना, कोषागार पदाधिकारी का कर्तव्य है।

बेगूसराय कोषागार में डबल लॉक एवं सिंगल लॉक पंजी एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 8,818 मुद्रांकों में से (प्रत्येक 5,000 रूपये मूल्य वर्ग के) 3.06 करोड़ रूपये के 6,119 मुद्रांकों की चोरी 20 जनवरी 2004 को हो गयी तथा इस संबंध में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) टाउन थाना, बेगूसराय में उसी दिन कर दिया गया।

अभिलेखों की जाँच से तदन्तर उद्घटित हुआ कि को.प. ने बार–बार पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय से अनुरोध किया (सितम्बर 2000 तथा सितम्बर 2003 के मध्य) कि संतरियों की स्थिति तथा सुरक्षा प्रणाली आदि को सुदृढ़ बनाने में अतिरिक्त सावधानियाँ संबंधी आदेश अभिलेखित किया जाय लेकिन घटना के दिन तक कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ। सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण दृढ़–प्रकोष्ठ (स्ट्राँग रूम) चोरी से संवेदनशील बन गया।

मुद्रांक की हानि का गलत प्रतिवेदन

5.2.12 बिहार वित्त नियमावली के साथ पठित बिहार कोषागार संहिता के अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्ति, विभागीय राजस्व या प्राप्तियाँ, मुद्रांक, अफीम, भंडार या अन्य सम्पत्ति जो सरकार के अधिकार में हो, गबन या अन्य तरीकों से उसकी हानि होती है जिसका पता कोषागार या अन्य कार्यालय या विभाग में चलता हो तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने उच्च पदाधिकारी तथा वित्त विभाग साथ ही महालेखाकार को तुरत प्रतिवेदित किया जाना चाहिए।

कोषागार कार्यालय, जहानाबाद में विभाग द्वारा 23 मई 2003 को दृढ़–प्रकोष्ठ (स्ट्राँग रूम) का भौतिक सत्यापन करने पर उद्घटित हुआ कि 1.50 करोड़ रूपये का 1,000 रूपये मूल्य वर्ग के 15,000 मुद्रांक क्षतिग्रस्त पाये गये। क्षतिग्रस्त होने का कारण दीमक लगना प्रतिवेदित किया गया। दस महीनों के विलम्ब के बाद अप्रील 2004 में महालेखाकार, बिहार को क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गयी यद्यपि संहिता के प्रावधान के अनुसार तुरत सूचना देना अनिवार्य था।

फिर भी, को.प., जहानाबाद के साथ लेखापरीक्षा द्वारा क्षतिग्रस्त मुद्रांकों की संयुक्त जाँच 20 अगस्त 2004 को करने पर उद्घटित हुआ कि 1,000 मूल्य वर्ग के 15,000 मुद्रांकों में से 51.48 लाख रूपये के 5,148 मुद्रांक अच्छी अवस्था में तथा उपयोगी पाये गये। इससे प्रकट हुआ कि 23 मई 2003 को किया गया भौतिक सत्यापन क्षतिग्रस्त मुद्रांकों की सही अवस्था नहीं दिखा सका।

बीमा क्षेत्र

मुद्रांक की अनधिकृत बिक्री के कारण सरकारी राजस्व की हानि

5.2.13 राजस्व परिषद, बिहार द्वारा जून 1994 में जारी एक परिपत्र के अनुसार मुद्रांक बिक्रेताओं के द्वारा न्यायिक तथा गैर न्यायिक मुद्रांकों के क्रय–बिक्रय को उनके अनुज्ञा पत्रों में उल्लिखित क्षेत्र (निबंधन कार्यालय) तक सीमित कर दिया गया। सिर्फ विशेष परिस्थिति में वे अन्य कोषागारों से संबंधित उ.स. के विशेष आदेश पर मुद्रांकों का क्रय कर सकते थे।

नेशनल ईन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (ने.ई.क.लि), पटना के क्षेत्रीय कार्यालय तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि) के प्रमंडलीय कार्यालयों पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना की जाँच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 1999 से 2003 के दौरान 7.07 करोड़ रूपये के मुद्रांकों के कुल क्रय में से 5.05 करोड़ रूपये के मुद्रांकों का क्रय जमशेदपुर, पटना तथा कोलकाता के अनधिकृत बिक्रेताओं से इन बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया, यद्यपि संबंधित मुद्रांक कोषागारों के पास बीमा मुद्रांक काफी मात्रा में उपलब्ध था जो निम्नवत् हैं :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	खरीदे गये बीमा मुद्रांक					संबंधित कोषागारों में उपलब्ध मुद्रांक	राजकोष को राजस्व की हानि
	सरकारी कोषागार	स्टाम्पेक्स इन्डिया, जमशेदपुर	के बिक्रेता		कुल		
			कोलकाता	पटना			
1999-2000	शून्य	1.07	शून्य	शून्य	1.07	8.53	शून्य
2000-2001	शून्य	1.87	शून्य	शून्य	1.87	8.48	0.77
2001-2002	1.52	0.90	0.08	शून्य	2.50	6.77	0.98
2002-2003	0.50	1.12	शून्य	0.005	1.625	6.40	1.12
कुल	**2.02**	**4.96 (क)**	**0.08 (ख)**	**0.005 (ग)**	**7.065**		**2.87**[4]
		(क) + (ख) + (ग) = 5.045					

को.प. जमशेदपुर के अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि स्टाम्पेक्स इन्डिया, जमशेदपुर के पक्ष में उ.स., सिंहभूम (जमशेदपुर) द्वारा मुद्रांक बिक्रय हेतु कोई अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार स्टाम्पेक्स इन्डिया, जमशेदपुर द्वारा बीमा कम्पनियों को मुद्रांक बेचना अनधिकृत था। तदन्तर, पटना के एक बिक्रेता जिसने ने.ई.क.लि., पटना को 50,000 रूपये का मुद्रांक बेचा, को.प., पटना द्वारा निर्गत बिक्रेताओं के सूची में उसका नाम नहीं पाया गया। अन्य राज्यों के अनधिकृत बिक्रेताओं द्वारा जी.बी.नि./ने.ई.क.लि., पटना के उपयोग के लिए 2.87 करोड़ रूपये के मुद्रांक की बिक्री के फलस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

अन्य बिक्रेताओं से बिक्रेता द्वारा मुद्रांक का क्रय

5.2.14 अनुज्ञापत्र की शर्तो के अनुसार जैसा कि उसके अनुज्ञापत्र में उल्लिखित है कोई बिक्रेता केवल सरकारी कोषागार से ही मुद्रांक प्राप्त करेगा तथा को.प. एवं उ.स. (मुद्रांक/विधिक कोषांग) के समक्ष मुद्रांक के क्रय तथा बिक्रय के लेखा की मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

जमशेदपुर के बिक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी की जाँच से उद्घटित हुआ कि दो बिक्रेताओं (श्री सरोज चन्दा तथा श्री प्रदीप घोष, स्टाम्पेक्स इन्डिया, जमशेदपुर के मालिकों) ने अन्य जिलों/राज्य के बिक्रेताओं से 1.73 करोड़ रूपये का मुद्रांक प्राप्त किया जो निम्नवत हैं :

[4] *बिहार के विभाजन 15.11.2000 से पहले की अवधि को छोड़ते हुए गणना किया गया जब जमशेदपुर बिहार का भाग था।*

वर्ष	मुद्रांकों का मूल्य रूपये में	बिक्रेताओं का नाम जिससे मुद्रांकों का क्रय किया गया
1999-2000	7,00,000	श्री एम. प्रसाद, पटना (बिहार), ए.के. साहा, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
2000-2001	7,25,000	श्री ए.के. साहा, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
2001-2002	88,83,000	श्री एम. प्रसाद, पटना तथा ए.के. साहा, कोलकाता
2002-2003	69,84,000	श्री एम. प्रसाद, पटना, श्री एस. लाल, डी.के. साहू, आर.आर. साहू, के.के. साहू (सभी रांची) झारखंड तथा ए.के. साहा, कोलकाता
कुल	**1,72,92,000**	

जमशेदपुर के श्री सरोज चन्दा तथा श्री पी. घोष ने कहा (जून 2004) कि पटना के एक बिक्रेता, श्री एम. प्रसाद से 1999–2000 तथा 2002–2003 के मध्य 71.83 लाख रूपये का बीमा मुद्रांक का क्रय किया गया। तिर्यक जाँच से पता चला कि श्री एम. प्रसाद ने मुद्रांक की बिक्री के किसी अभिलेख का संधारण नहीं किया था।

इसे बताये जाने पर 1993–1994 से 2002–2003 की अवधि में बिक्रेता द्वारा किये गये मुद्रांकों के क्रय/बिक्रय विवरणी का संग्रहण कर उ.स. (विधिक कोषांग) ने लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया (जून 2004)। इससे प्रकट होता है कि न तो बिक्रेता ने विहित अवधि के अन्दर लेखा प्रस्तुत किया न ही विभाग ने बिक्रेता द्वारा किये गये अनधिकृत क्रय/बिक्रय की जाँच/पता करने तथा अनुज्ञापत्रों के शर्तो के उल्लंघन हेतु अनुज्ञापत्र को निरस्त ही किया।

विहित क्षेत्र के बाहर के बिक्रेताओं द्वारा मुद्रांकों की बिक्री

5.2.15 अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अनुज्ञापत्र में उल्लिखित क्षेत्रों के अन्दर ही मुद्रांकों की बिक्री करने के लिए बिक्रेता अधिकृत थे। जून 1994 में जारी राजस्व परिषद के अनुदेशों की कंडिका 7 के अन्तर्गत जि.अ.नि./को.प./बिक्रेता से प्राप्त विवरणियों से संबंधित को.प. द्वारा निर्गत, बिक्रेताओं द्वारा बेचे गये तथा जि.अ.नि. कार्यालय में उपयोग किये गये मुद्रांकों का तुलनात्मक अध्ययन उ.स. (मुद्रांक/विधिक कोषांग) करेगा। यदि किसी प्रकार की विषमता पायी जाती है तो उसे समाहर्ता को तुरत सूचित किया जाना चाहिए किन्तु इन अनुदेशों में बीमा कम्पनियों के लिए कोई ऐसा तरीका विहित नहीं है।

- जमशेदपुर के दो बिक्रेताओं (श्री सरोज चन्दा तथा प्रदीप घोष) के मुद्रांक बिक्री विवरणी के अनुसार इन बिक्रेताओं ने बीमा मुद्रांकों की बिक्री बिहार के अन्य जिलों में ही नहीं (भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा पटना) बल्कि अन्य राज्यों (झारखंड में हजारीबाग, पंश्चिम बंगाल में आसनसोल तथा हावड़ा, उड़ीसा में संबलपुर तथा कटक एवं छत्तीसगढ़ में रायपुर) में भी किया। जमशेदपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों में मुद्रांकों की बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के प्रतिकूल था।

विभाग ने बिक्रेताओं के अनुज्ञापत्रों को निरस्त करने तथा विहित क्षेत्र के अलावे बिक्री को बंद करने की कोई कार्रवाई नहीं की।

- नमूना जाँच से पता चला कि जी.बी.नि. के तीन प्रमंडलीय कार्यालयों (पटना, मुजफ्फपुर तथा भागलपुर) तथा ने.ई.क.लि. का क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने स्टाम्पेक्स इन्डिया, जमशेदपुर से 1999–2000 से 2002–2003 की अवधि में 4.96 करोड़ रूपये के बीमा मुद्रांकों का क्रय किया। इन बीमा कम्पनियों के द्वारा मुद्रांकों के क्रय का आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित आपूर्ति के अभिलेखों से तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि आपूर्तिकर्ता ने 6.22 करोड़ रूपये के मुद्रांकों की वास्तविक बिक्री की। इसके फलस्वरूप 1.26 करोड़ रूपये

की विषमता मुद्रांकों की बिक्री में हुई। जाली मुद्रांकों की बिक्री की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बीमा मुद्रांकों के क्रय–बिक्रय में विषमता

5.2.16 जून 1994 में जारी राजस्व परिषद के अनुदेशों के अनुसार मुद्रांकों की बिक्री की समेकित विवरणी (कोषागारों द्वारा तथा बिक्रेताओं के माध्यम से) की तैयारी को.प. को करना था तथा इसे संबंधित उ.स. (मुद्रांक/विधिक कोषांग) के समक्ष प्रस्तुत करना था जो बिक्रेताओं की विवरणी के साथ तिर्यक जाँच करने के बाद बारी–बारी से समाहर्ता को प्रतिवेदित करेगा।

को.प., जमशेदपुर तथा बिक्रेताओं (श्री सरोज चन्दा तथा प्रदीप घोष) द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणियों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि इन बिक्रेताओं को 1999–2000 से 2002–2003 के दौरान 15.62 करोड़ रूपये का मुद्रांक को.प., जमशेदपुर ने बेचा जबकि उसी अवधि के लिए इन बिक्रेताओं की लेखा से 15.69 करोड़ रूपये के क्रय का पता चला। विवरण निम्नवत् हैं :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कोषागार द्वारा श्री चन्दा तथा श्री घोष को मुद्रांक की बिक्री	श्री चन्दा तथा श्री घोष द्वारा कोषागार से दिखलाया गया क्रय	अन्तर
1999-2000	3.10	3.10	शून्य
2000-2001	4.39	4.42	0.03
2001-2002	3.28	3.32	0.04
2002-2003	4.85	4.85	शून्य
कुल	15.62	15.69	0.07

यह दर्शाने के लिए कि कोषागारों/बिक्रेताओं द्वारा मुद्रांकों की बिक्री की लेखा तैयार की गयी तथा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष नियत समय पर प्रस्तुत की गयी, संबंधी कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।

आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण

5.2.17 विभिन्न आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन तथा उनकी कमजोरियों की पहचान करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा एक असरदार तंत्र समझा जाता है। निबंधन विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए वित्त (लेखापरीक्षा) विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में काम करता है। मई 1960 के एक आदेश के अन्तर्गत, कार्यालयों द्वारा संधारित पंजियों की जाँच सहित मुद्रांकों के क्रय तथा बिक्रय की शत–प्रतिशत लेखापरीक्षा करने तथा राज्य की समेकित निधि में जमा कराने हेतु कोषागार अभिलेखों में जमा की गयी राशि की जाँच आंतरिक लेखापरीक्षा दल को करना है।

- निबंधन कार्यालयों में लेखापरीक्षा को जो सूचना उपलब्ध कराई गई उससे पता चला कि वर्ष 1993–1994 से 2002–2003 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अंकेक्षण नहीं किया गया था क्योंकि लेखापरीक्षा को आंतरिक अंकेक्षण के समर्थन में कोई अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे प्रकट होता है कि आंतरिक नियंत्रण के बहुत विशाल घटक का उपयोग नहीं किया गया।

- अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत नौ पदों जिनका क्षेत्राधिकार पटना, तिरहुत, मगध, सारण, कोशी, पूर्णियाँ, भागलपुर, मुंगेर तथा दरभंगा है, के विरूद्ध विभाग में चार निरीक्षक थे।

लेखापरीक्षा के दौरान निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों की सूचना तथा उनके प्रतिवेदनों की माँग की गयी किन्तु विभाग द्वारा जून 2004 तक उसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

अनुसंशाएँ

5.2.18 सरकार निम्नलिखित पर समीक्षा एवं विचार कर सकती है :

- मुद्रांक शुल्क का भुगतान या तो कोषागार चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट/किसी अनुसूचित बैंक के भुगतानादेश के माध्यम से या अधिकृत बैंक के माध्यम से रसीद के अन्तर्गत नकद के रूप में किया जाय;
- मुद्रांक बिक्रेताओं के रूप में बिचौलियों की भुमिका को समाप्त किया जाय;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि निबंधनकर्ता प्राधिकारी निबंधित होने वाले दस्तावेज के साथ मुद्रांक शुल्क के भुगतान को संबद्ध करते है या नहीं, बैंक तथा जि.अ.नि./अ.नि. कार्यालयों के बीच ऑनलाईन संबद्धता का प्रारम्भ;
- कोषागार पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिक्रेताओं द्वारा संधारित लेखाओं का जि.अ.नि./अ.नि. के अभिलेखों से निरीक्षण/जाँच/मिलान किया जाय;
- जब तक कोई दूसरी प्रणाली विकसित तथा स्वीकार नहीं कर ली जाती, को.प. द्वारा मुद्रांकों पर छः अंकीय क्रम संख्या के अभिलेखन तथा संबंधित जि.अ.नि./अ. नि. द्वारा इसकी तिर्यक जाँच सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश; तथा
- विभाग में आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूत करना।

मामला सरकार को जुलाई 2004 में प्रतिवेदित किया गया। उन्होंने सभी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

ख : भू–राजस्व

5.3 पट्टाकृत खास महाल भू–संपत्ति के अनवीकरण/बंधों एवं शर्त्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व की हानि

बिहार सरकार भू–सम्पत्ति (खास महाल) नियमावली, 1953 तथा उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत पट्टे की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार पट्टा के नवीकरण हेतु पट्टे की समाप्ति के छः माह पूर्व आवेदन करने के लिए सूचना निर्गत करेगी, जबकि पट्टाधारी के लिए आवश्यक है कि वह नवीकरण हेतु पट्टा की समाप्ति के तीन माह पूर्व ही आवेदन करे। यदि पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किये और पट्टा का नवीकरण कराये पट्टाकृत संपत्ति को रखता है तो उसे अतिक्रामक माना जायगा और पिछले बंधों एवं शर्तो पर नवीकरण हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा।

नये पट्टों पर वार्षिक लगान (आवासीय तथा वाणिज्यिक पट्टों के लिये ऐसी सलामी का क्रमशः पचासवाँ और बीसवाँ भाग) के अलावा सलामी[5] भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य पर आरोप्य है। बकाये की स्थिति में पट्टाधारी नये पट्टे में निर्धारित किये गये लगान की दुगुनी राशि, लगान का भुगतान नही करने की तिथि से देने के साथ ही दस प्रतिशत की दर से बकाये लगान पर ब्याज का भी देनदार है।

[5] *सलामी भूमि के बढ़े हुए मूल्य में सरकारी हिस्सा है।*

उपरोक्त विषय तथा उसपर राजस्व के असर पर 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), बिहार सरकार की कंडिका 2.4 में इसका उल्लेख है। लोक लेखा समिति ने अनुशंसा किया (दिसम्बर 2002) कि पट्टाकृत भूमि का सर्वेक्षण छः महीनों में पूरा कर लिया जाय।

अपर समाहर्त्ता, पटना के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रील 2002 तथा अप्रील 2004 के मध्य) करने पर यह उद्घटित हुआ कि 6.17 एकड़ खास महाल भूमि के तीन पट्टे फरवरी 1998 तथा मार्च 2000 के मध्य समाप्त हो गये परन्तु न तो विभाग द्वारा कोई सूचना निर्गत किया गया न पट्टाधारियों द्वारा समाप्त पट्टे की नवीकरण हेतु समय पर आवेदन ही दिया गया। इन पट्टेधारियों ने लगान का भुगतान किये बिना पट्टाकृत संपत्ति पर कब्जा जारी रखा। लगान लगाने तथा बकाया वसूल करने में विभाग की अकर्मण्यता के फलस्वरूप 6.70 करोड़ रूपये का करारोपण/वसूली नहीं हुई, जो निम्नवत् हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	पट्टेदारों के नाम पता	क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टा निरस्त होने की तिथि	प्रति डिसमल दर (रू0)	सलामी	दण्डनीय लगान	दण्डनीय ब्याज	कुल
1.	न्यू पटना क्लब, गार्डिनर रोड, पटना	4.13	28.2.1998	72,000	2.97	1.47	0.22	4.66
2	मे.सहाय प्रोपर्टी एण्ड इनवेस्टमेंट प्रा. लि, पटना गया रोड	1.01	25.8.1998	72,000	0.72	0.36	0.05	1.13
3.	श्री बी. फ्रांसिस, पटना गया रोड	1.03	31.3.2000	72,000	0.74	0.15	0.02	0.91
	कुल	**6.17**			**4.43**	**1.98**	**0.29**	**6.70**

मामला विभाग को अप्रील 2002 तथा अप्रील 2004 में एवं सरकार को जुलाई 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

5.4 सरकारी लेखा में शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर का जमा नहीं होना

बिहार तथा उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 एवं पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत सरकारी अधिसूचना द्वारा दिसम्बर 1959 तथा मई 1972 में शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर का संग्रहण का भार सभी नगरपालिका निकायों को इस निर्देश के साथ दिया गया कि उन उपकरों की आमदनी को राज्य कोषागारों में संग्रह लागत 10 प्रतिशत काटकर जमा किया जाय जो राज्य की समेकित निधि का हिस्सा होगा।

15 निकायों[6] में जून 2002 तथा 2004 के मध्य यह पाया गया कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर की संग्रहित राशि क्रमशः 1.92 करोड़ रूपये तथा 2.21 करोड़ रूपये को 1998–1999 तथा 2002–2003 के मध्य सरकारी खाता में जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार 4.13 करोड़ रूपये राज्य की समेकित निधि से बाहर रहा।

मामला विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2003, जून 2004 तथा अगस्त 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

[6] *नगर निगम – भागलपुर तथा दरभंगा।*
नगर पालिका – डेहरी–डालमिया नगर, फारबिसगंज, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, कहलगंव, नवादा तथा रक्सौल।
अधिसूचित क्षेत्र समिति – वीरपुर, बेतिया, मुरलीगंज, नवगछिया तथा पीरो

ग : विद्युत शुल्क

5.5 निर्धारित कर तथा अर्थदण्ड की वसूली नहीं होना

समय–समय पर यथा संशोधित बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत किसी व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी जिसके पास कोई राशि बकाया हो या होने वाला हो या शुल्क भुगतान करने वाला हो, यदि वह माँगपत्र में नियत तिथि के अन्दर राशि के भुगतान करने में विफल होता है तो व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार होगा। प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में विहित प्राधिकारी निर्देश करेगा कि ऐसा व्यक्ति दंडस्वरूप भुगतेय राशि का अधिक से अधिक दुगुना राशि का भुगतान करेगा।

वाणिज्यकर उपायुक्त (वा.उ.आ.), पटना विशेष अंचल के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि एक अनुज्ञप्तिधारी के मामला में 1999–2000 की अवधि के लिए जनवरी 2003 में 29.82 करोड़ रूपये विद्युत शुल्क आरोपित किया गया, किन्तु अनुज्ञप्तिधारी ने मात्र 26.35 करोड़ रूपये का भुगतान किया तथा शेष राशि 3.47 करोड़ रूपये मार्च 2004 तक बकाया रहा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नियत समय के अन्दर नहीं किया गया, फलस्वरूप भुगतेय राशि का दुगुना अर्थदण्ड के रूप में आरोपित किया जाना था किन्तु इसे आरोपित नहीं किया गया। इस प्रकार 6.94 करोड़ रूपये अर्थदण्ड सहित कुल राशि 10.41 करोड़ रूपये वसूलनीय था।

इसे मार्च तथा जून 2004 में बताये जाने पर वा.उ.आ. ने कहा (जुलाई 2004) कि बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु वाणिज्यकर आयुक्त (वा.आ.) से अनुमति माँगी गयी है।

मामला सरकार को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

अध्याय–VI : कर – भिन्न प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 993.23 करोड़ रूपये के 234 मामलों में राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने आदि का पता चला जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मामले की संख्या	राशि
क	**खान तथा खनिज**		
1	रॉयल्टी तथा उपकर का नहीं/कम आरोपण	4	2.67
2	ब्याज का आरोपण नहीं होना	3	0.31
3	अर्थदण्ड/शुल्क का आरोपण नहीं होना	30	17.69
4	मुद्रांक तथा निबंधन फीस का आरोपण नहीं होना	8	1.33
5	बालू घाट का नहीं/अनियमित बंदोवस्ती के कारण नीलामी राशि का आरोपण कम/नहीं होना	10	1.33
6	नीलामवाद प्रक्रियाओं का प्रारम्भ नहीं किया जाना	10	28.74
7	अन्य मामले	35	35.47
	कुल	**100**	**87.54**
ख	**वन प्राप्तियाँ**		
1	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	6	1.15
2	नीलामवाद मामलों के विलंब से प्रारम्भ किये जाने के कारण राजस्व की हानि	6	1.86
3	आरा मिलों के निबंधन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	9	0.67
4	अन्य मामले	26	12.61
	कुल	**47**	**16.29**
ग	**जलदर**		
1	जलदर के निर्धारण में बिलंब	1	2.74
2	अन्य मामले	85	160.93
	कुल	**86**	**163.67**
घ	**ब्याज प्राप्तियाँ पर समीक्षा**	**1**	**725.73**
	कुल योग	**234**	**993.23**

वर्ष 2003–2004 के दौरान संबंधित विभागों ने एक मामला में अन्तर्ग्रस्त 0.63 करोड़ रूपये के अनियमितता आदि को स्वीकार किया जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में बतलाये गये थे।

दृष्टांतस्वरूप **"ब्याज प्राप्तियाँ"** पर एक समीक्षा सहित 749.20 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :

क : ब्याज प्राप्तियाँ

6.2 समीक्षा : ब्याज प्राप्तियाँ

मुख्याकर्षण

- प्रशासनिक विभागों ने वित्त विभाग में प्रस्तुत करने हेतु "ब्याज प्राप्तियाँ" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 तक के लिए बजट अनुमान या संशोधित अनुमान तैयार नहीं किया यद्यपि वित्त विभाग ने बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान तैयार/प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया था।

(कंडिका 6.2.5)

- नमूना जाँच किये गये प्रशासनिक विभागों में से किसी ने ऋण लेजर तथा माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण नहीं किया। मूलधन तथा ब्याज की वसूली पर नियंत्रण में विभाग विफल रहा।

(कंडिका 6.2.6)

- मार्च 2003 तक उपचित 687.67 करोड़ रूपये का ब्याज तथा दंडनीय ब्याज की प्रशासनिक विभागों द्वारा न तो गणना की गयी न माँग ही प्रस्तुत की गयी। इसमें से 648.89 करोड़ रूपये वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 से संबंधित था।

- सहकारिता विभाग के तीन ऋणियों के विरूद्ध बकाया ऋण पर मार्च 2003 तक उपचित 70.63 करोड़ रूपये का ब्याज बगैर वसूली के रहा। इस में से 39.97 करोड़ रूपये वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 से संबंधित था।

(कंडिका 6.2.7)

- आवास विभाग द्वारा ऋण के बंधों एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं देने के फलस्वरूप 1.53 करोड़ रूपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 6.2.8)

प्रस्तावना

6.2.1 विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम उद्यमों, स्थानीय निकायों, सहयोग समितियों तथा स्वतंत्र निकायों को ऋण तथा अग्रिमों की स्वीकृति देता है। स्वीकृत ऋण पर इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा विभिन्न दर से ब्याज निश्चित होता है। मूलधन तथा ब्याज की अदायगी के प्रकार, ब्याज की दर, किश्तों की अवधि, रोकड़, शेष ऋण तथा अग्रिम के स्वीकृत्यादेश में विहित बंधों एवं शर्तो के अनुसार निर्धारित होता है। निवेश पर भी ब्याज की वसूली सरकार द्वारा की जाती है तथा यह राजस्व का मुख्य श्रोत होता है।

संगठनात्मक ढाँचा

6.2.2 संबंधित प्रशासकीय विभाग के प्रधानों के द्वारा ऋण तथा अग्रिमों की स्वीकृति के लिए विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति से ऋण स्वीकृत किया जाता है। संबंधित प्रशासकीय विभाग के प्रधान द्वारा ब्याज सहित ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की देखभाल की जानी है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

6.2.3 वित्त विभाग सहित छः विभागों[1] द्वारा 1998–1999 से 2002–2003 के दौरान स्वीकृत ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज आदि की वसूली से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच नवम्बर 2003 से जून 2004 के दौरान की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

6.2.4 निम्न उद्देश्यों के लिए समीक्षा की गयी :

- विहित प्रक्रिया के अनुरूप ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण की सुनिश्चितता के लिए प्रशासकीय विभागों की दक्षता का मूल्यांकन,
- ब्याज प्राप्ति तथा संग्रहण के विवरणों संबंधी अभिलेखों की शुद्धता एवं उचित संधारण को सुनिश्चित करने हेतु, तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता के मूल्यांकन हेतु।

ब्याज प्राप्तियों की प्रवृति तथा बजट अनुमान

6.2.5 बिहार बजट कार्यवाही (बि.ब.का) के नियम 54 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व तथा प्राप्ति के अनुमान को वर्ष के अन्दर होने वाली राशि को दर्शाना चाहिए। चालू वर्ष के लिए तय राजस्व के अनुमान की गणना पिछले वर्षों के बकाया सहित वास्तविक माँग तथा वर्ष के दौरान उनकी वसूली पर आधारित होना चाहिए। अस्थिर राजस्व के मामले में विगत तीन वर्षों की प्राप्ति की तुलना के आधार पर अनुमान होना चाहिए। तदन्तर नियंत्री पदाधिकारी को व्ययन पदाधिकारी से प्राप्त बजट की समीक्षा करनी चाहिए तथा इसे वित्त विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए।

वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 के लिए ब्याज प्राप्तियों का कुल कर भिन्न राजस्व से प्रतिशतता सहित बजट अनुमान तथा वास्तविक निम्नवत् है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान (पुनरीक्षित)	वास्तविक वसूली	बजट अनुमान तथा वास्तविक में विभिन्नता		कुल कर भिन्न राजस्व	ब्याज प्राप्तियों का कर भिन्न राजस्व से प्रतिशतता
			(+) वृद्धि (-) ह्रास	प्रतिशतता		
1998-1999	309.60	135.99	(-) 173.61	(-) 56	1,146.29	11.86
1999-2000	328.54	135.75	(-) 192.79	(-) 59	1,165.86	11.64
2000-2001	132.81	30.68	(-) 102.13	(-) 77	711.68	4.31
2001-2002	89.08	11.75	(-) 77.33	(-) 87	286.70	4.10
2002-2003	29.03	53.01	(+) 23.98	(+) 83	260.82	20.32

[1] *कृषि, सहकारिता, उर्जा, आवास, उद्योग तथा शहरी विकास विभाग।*

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि :

- वर्ष 1998–1999 से 2001–2002 के दौरान ब्याज प्राप्तियों की वास्तविक वसूली बजट अनुमान की अपेक्षा 56 से 83 प्रतिशत तक कम रही;
- वर्ष 2002–2003 में अनुमान में असाधारण कमी थी; तथा
- वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 के दौरान ब्याज प्राप्तियों का कर भिन्न राजस्व से प्रतिशतता चार प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के मध्य रही।

वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 के लिए संबंधित प्रशासकीय विभागों के बजट अनुमान के अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि प्रशासकीय विभागों ने न तो अनुमान तैयार किया न ही इसे वित्त विभाग में प्रस्तुत ही किया। बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष के बजट में कमी/अधिक करके तदर्थ आधार पर बनाया गया तथा अनुमान बनाने में बि.ब.का. के अन्तर्गत विहित कार्यवाही का अनुसरण नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर उर्जा विभाग ने अगले वित्त वर्ष से अनुदेशों का पालन करने हेतु सहमति जताई। अन्य विभागों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

6.2.6 ऋण लेजर बही स्वीकृत ऋण का आधारभूत अभिलेख है जिसमें प्रारंभिक सूचनाएँ जैसे ऋणियों का विवरण, स्वीकृति, ऋण निकासी की तिथि, भुगतान की अनुसूची, ब्याज तथा दण्डनीय ब्याज की दर, मूलधन राशि के भुगतान का विवरण, ब्याज का भुगतान अंकित किया जाता है। ऋण लेजर बही के अलावा माँग सृजन हेतु, स्वीकृत ऋणों की वसूली तथा उसपर संभूत ब्याज पर ध्यान देने एवं समय–समय पर बकाया ऋण की गणना करने के लिए एक माँग, संग्रहण तथा शेष (मां.सं.शे) पंजी का संधारण आवश्यक है।

तथापि यह पाया गया कि जाँच किये गये किसी भी विभाग ने ऋण की वसूली/भुगतान तथा उसपर संभूत ब्याज की वसूली पर दृष्टि रखने हेतु ऋण लेजर बही एवं मां.सं.शे. पंजी का संधारण नहीं किया था। इस प्रकार, ये विभाग स्वीकृत अग्रिमों तथा उनपर संभूत ब्याज की स्थिति बतलाने की स्थिति में नहीं थे। वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 के दौरान उर्जा, कृषि, उद्योग, शहरी विकास तथा सहकारिता विभागों द्वारा स्वीकृत ऋणों तथा अग्रिमों के विवरण, जो वित्त लेखे में उपलब्ध थे,परिशिष्ट II में दिये गये हैं; जिससे यह प्रकट होता है कि ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति 3,511.29 करोड़ रूपये थी जिसके विरूद्ध ऋणी संस्थाओं द्वारा मात्र 22.08 करोड़ रूपये का (0.63 प्रतिशत) भुगतान किया गया।

संबंधित प्रशासकीय विभाग 1998–1999 से पूर्व की अवधि के लिए स्वीकृत ऋणों एवं अग्रिमों पर वसूलनीय ब्याज दर के विवरणों को प्रस्तुत नहीं कर सके। तथापि, एक अप्रैल 1998 को मूलधन के बकाये पर वसूलनीय ब्याज[2] की राशि की गणना 2,822.93 करोड़ रूपये तथा 1998–1999 से 2002–2003 की अवधि के लिए 1,020.99 करोड़ रूपये की गयी। इस प्रकार वर्ष 2002–2003 के अन्त में ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज की कुल राशि 3,843.92 करोड़ रूपये थी। विवरण निम्नवत् हैं :

[2] *छः से 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर 1998–1999 से 2002–2003 के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए विहित ब्याज दर के आधार पर*

(करोड़ रूपये में)

विभाग	ब्याज की दर (प्रतिशत/वार्षिक)	1.4.1998 को बकाया ऋण पर उपचित ब्याज	वर्ष के दौरान ऋण पर उपचित ब्याज					
			1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	Total
उर्जा	13	1,896.06	277.08	384.52	153.00	62.71	81.94	2,855.31
कृषि	6	177.72	1.52	1.14	3.54	1.36	1.86	187.14
उद्योग तथा खान	13	364.08	0.42	1.29	0.008	0.30	0.62	366.72
आवास तथा शहरी विकास	13	231.79	7.62	8.89	2.90	2.09	3.12	256.41
सहकारिता	16	153.28	4.00	3.04	9.44	3.63	4.95	178.34
कुल		**2,822.93**	**290.64**	**398.88**	**168.89**	**70.09**	**92.49**	**3,843.92**

ऋण लेजर बही तथा मां.सं.शे. पंजियों आदि का संधारण नहीं होने के कारण प्रशासकीय विभाग बकायों के संग्रहण को कार्यान्वित नहीं कर सके जो आंतरिक नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

इसे बताये जाने पर दो विभागों (उर्जा तथा शहरी विकास) ने मार्च 2004 में कहा कि मात्र संचिकाओं का संधारण किया गया जबकि उद्योग विभाग ने कहा कि जिला स्तर पर अभिलेखों का संधारण हुआ। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि प्रशासकीय विभाग स्तर पर ऋण/ब्याज की वसूली के भुगतान की निगरानी के लिए उपरोक्त पंजियों का संधारण किया जाना आवश्यक है। अन्य विभागों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

माँग का सृजन/वसूली नहीं होना

6.2.7 बिहार वित्त नियमावली (बि.वि.नि) के प्रावधानों के अन्तर्गत ऋण तथा ब्याज की अदायगी का उत्तरदायित्व स्वीकृति पदाधिकारी पर रहती है। स्वीकृत्यादेश में उल्लिखित बंधों एवं शर्तो के अनुसार मूलधन तथा ब्याज का भुगतान किया जाना है। स्वीकृति के बंधों एवं शर्तो के अनुसार अभुगतित मूलधन की किश्तों पर दंडनीय ब्याज राशि भी आरोप्य है।

- आवास, उर्जा तथा शहरी विकास विभागों एवं ऋणी संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि ऋणी संस्थाओं को ऋण की स्वीकृति दस वर्षो से 20 वर्षों के अन्दर ब्याज सहित लौटाने के लिए दी गयी जिसमें विफल रहने पर दंडनीय ब्याज आरोप्य था। यह पाया गया कि विभाग ने मार्च 2003 तक 687.67 करोड़ रूपये ब्याज तथा दंडनीय ब्याज की राशि के लिए न तो माँग की गणना की और न ही माँग का सृजन किया। इनमें से 648.89 करोड़ रूपये (588.15 करोड़ रूपये ब्याज तथा 60.74 करोड़ रूपये दण्डनीय ब्याज) वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 से संबंधित थे, जिनका विवरण निम्नवत् हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	ऋणी संस्थाओं का नाम	ऋण का प्रयोजन	ऋण की राशि भुगतान का वर्ष	ब्याज/दंडनीय ब्याज की दर (प्रतिशत)	भुगतान की अवधि	भुगतित ऋण	वसूलनीय ब्याज	वसूलनीय दंडनीय ब्याज
1	आवास बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	गृह निर्माण	35.74 1990–1991 से 2001–2002	13 चक्रवृद्धि ब्याज	15 वर्ष	0.47	19.98	4.04
2	उर्जा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना	ग्रामीण विद्युतिकरण तथा सहाय्य	1,513.54 1998–1999 से 2002–2003	13 2.5	10 वर्ष	-	541.07	56.70

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	ऋणी संस्थाओं का नाम	ऋण का प्रयोजन	ऋण की राशि भुगतान का वर्ष	ब्याज/दंडनीय ब्याज की दर (प्रतिशत)	भुगतान की अवधि	भुगतित ऋण	वसूलनीय ब्याज	वसूलनीय दंडनीय ब्याज
3	शहरी विकास पटना नगर निगम	वेतन तथा भत्ते का भुगतान	38.80 1990–1991 से 2002–2003	13	20 वर्ष	-	19.56	---
	मुंगेर नगर परिषद	वही	5.19 1991–1992 से 2002–2003	वही	20 वर्ष	-	2.54	---
	जमालपुर नगर परिषद	वही	2.12 1991–1992 से 2001–2002	वही	20 वर्ष	-	0.93	---
	जल परिषद, गया	वही	0.58 1990–1991 से 2002–2003	वही	20 वर्ष	-	0.29	---
	नगर निगम, गया	वही	7.14 1990–1991 से 2002–2003	वही	20 वर्ष	-	3.78	---
	कुल		**1,603.11**			**0.47**	**588.15**	**60.74**

बिहार राज्य आवास बोर्ड, नगर निगम, पटना तथा गया एवं जल परिषद गया द्वारा बतलाया गया कि मूलधन तथा ब्याज के भुगतान नहीं होने का कारण निधि की अनुपलब्धता थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, नगर परिषद मुंगेर तथा जमालपुर के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

- उद्योग विभाग ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. तथा बिहार स्टेट क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि. को, इक्विटी शेयरों में रूपान्तरित करने हेतु ऋण की स्वीकृति दी। बंधों एवं शर्तो के अनुसार यदि ऋण एक वर्ष के अन्दर इक्विटी शेयरों में रूपान्तरित नहीं किया गया तो ऋण दस वर्षो के अन्दर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज के साथ क्रमशः 13 प्रतिशत एवं ढाई प्रतिशत की दर पर भुगतेय होगा।

इन निगमों के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि न तो ऋणों को इक्विटी शेयरों में रूपान्तरित किया गया न ही ऋणों का भुगतान ही किया गया। 31 मार्च 2003 को ऋणों पर बकाया ब्याज तथा दण्डनीय ब्याज जैसा इन निगमों ने प्रतिवेदित किया, वर्ष 1990–1991 से 2002–2003 के दौरान 91.46 करोड़ रूपये हो गया। इसमें से 35.34 करोड़ रूपये (29.66 करोड़ रूपये ब्याज तथा 5.68 करोड़ रूपये दण्डनीय ब्याज) वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 से संबंधित थे।

उद्योग विभाग ने ब्याज तथा दण्डनीय ब्याज की माँग का सृजन नहीं किया।

- स्वीकृत्यादेश में उल्लिखित बंधों एवं शर्तो के अनुसार ब्याज विहित दर पर आरोप्य है तथा एक वर्ष बाद वार्षिक रूप से दस समान किश्तों में वसूलनीय है।

सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के अनुसार विभाग द्वारा तीन ऋणियों[3] के स्वीकृत ऋण पर मार्च 2003 तक उपचित ब्याज की राशि 70.63 करोड़ रूपये 31 मार्च 2003 तक बकाया था। इसमें से 39.97 करोड़ रूपये वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 तक की अवधि से संबंधित थे।

[3] *(i) बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना, (ii) बिहार भूमि विकास बैंक, पटना तथा (iii) बिहार राज्य सहकारिता बाजार संघ, पटना।*

तीन ऋणियों में से मात्र एक (बिहार भूमि विकास बैंक, पटना) ने ऋण तथा ब्याज का भुगतान क्रमशः 1.02 करोड़ रूपये तथा 0.24 करोड़ रूपये 1998–1999 से 2002–2003 के दौरान किया। तथापि, विभाग ने ऋणियों के विरूद्ध बकाया ऋण तथा उस पर उपचित ब्याज के किसी माँग का सृजन नहीं किया।

ब्याज की वसूली नहीं होना

6.2.8 बि.वि.नि. के प्रावधानों के अर्न्तगत ऋण स्वीकृत करते समय विशिष्ट बंधों एवं शर्तो को तय कर लेना चाहिए। उसमें ऋण तथा ब्याज के किश्तों के भुगतान की नियत तिथि का उल्लेख भी कर देना चाहिए।

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि बोर्ड ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को ऋण–पत्र, बिहार सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूति पर निर्गत किया। बोर्ड ने ऋण–पत्रों पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया। चूँकि बिहार सरकार ने ऋण के विरूद्ध प्रत्याभूति दी थी, वित्त विभाग ने भारतीय रिर्जव बैंक को राज्य की समेकित निधि से मार्च 2002 तथा फरवरी 2003 में क्रमशः पाँच करोड़ रूपये तथा 1.62 करोड़ रूपये विकलित कर ब्याज सहित ऋणों तथा अग्रिमों के भुगतान की व्यवस्था संबंधित बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को कराने हेतु प्राधिकृत किया। वित्त विभाग द्वारा ऐसे भुगतान को बोर्ड पर ऋण मान लिया गया। वित्त विभाग ने भुगतान प्राधिकृत करते समय संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऋण के बंधों एवं शर्तो को नियत कर लेने का निर्देश भी दिया। चूँकि, आवास विभाग ने बंधों एवं शर्तो को नियत नहीं किया, न तो आवास विभाग ने माँग का सृजन किया न बोर्ड ने भुगतान ही किया। इस प्रकार, बंधों एवं शर्तो के नियत नहीं होने के फलस्वरूप 2002–2004 की अवधि के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक दर से संगणित 1.53 करोड़ रूपये के ब्याज की राशि की वसूली नहीं हुई।

निष्कर्ष

6.2.9 प्रशासकीय विभाग ऋणी संस्थाओं से ऋणों तथा अग्रिमों की अदायगी समय पर कराने पर विफल रहे जिससे राजकोष के संसाधनों पर असर पड़ा। लंबित ऋणों तथा अग्रिमों की देखभाल एवं ब्याज, दंडनीय ब्याज की वसूली में तंत्र की विफलता थी, यद्यपि इस संबंध में नियमावली में मार्गदर्शन दिये गये थे। चूँकि, ब्याज प्राप्तियाँ कर भिन्न राजस्व का वृहत् भाग है, ऋणों तथा अग्रिमों एवं उसपर ब्याज के त्वरित निर्धारण एवं वसूली को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली तथा कार्यविधि पर विशेष ध्यान देना सरकार के लिए आवश्यक था।

अनुशंसाएँ

6.2.10 राज्य सरकार निम्नलिखित को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने पर विचार कर सकती हैं :

- प्रशासकीय विभागों द्वारा बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार करना,
- अग्रिमों तथा ब्याज की वसूली के त्वरित अदायगी पर नजर रखने के लिए मुख्यालय द्वारा ऋण लेजर बही तथा मां.सं.शे. पंजी का संधारण करना, तथा
- लबित मूलधन तथा ब्याज राशि पर नियंत्रण के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र का असरदार होना।

उपरोक्त मामले सरकार को जुलाई 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

ख : खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

6.3 ईंट मिट्टी के अवैध खनन पर अर्थदण्ड का नहीं/कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान (बि.ल.ख.स.) नियमावली, 1972 तथा मार्च 1992 में जारी अधिसूचना के अन्तर्गत प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक/ईंट मिट्टी हटाने वाला व्यक्ति परमिट जारी होने के पूर्व ईंट भट्ठा की श्रेणी के आधार पर समेकित रॉयल्टी का भुगतान करेगा। तदन्तर, नियम 40(8) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वैध पट्टा/परमिट के बिना लघु खनिज की खुदाई करता है तो उसे अर्थदंड स्वरूप उसकी कीमत चुकानी होगी तथा सरकार उस व्यक्ति द्वारा बिना किसी न्यायोचित प्राधिकार के अवैध रूप से जमीन पर कब्जा की अवधि के लिए किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है। अवैध खनन के व्यापार को रोकने के लिए विभाग ने अक्टूबर 1986 में समय–समय पर छापा मारने तथा उसका प्रतिवेदन उच्च प्राधिकारियों को भेजने के लिए अनुदेश जारी किया।

14 जिला खनन कार्यालयों[4] (जि.ख.का.) में सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य पाया गया कि ईंट मौसम 2001–2002 तथा 2002–2003 में 1,679 ईंट भट्ठे वैध परमिट तथा समेकित रॉयल्टी के भुगतान के बगैर चलाये गये। इनमें से 1,529 मामले में दोषियों के विरूद्ध खनिज (ईंट मिट्टी) की कीमत की वसूली के लिए माँग नहीं की गयी। दो जि.ख.का. (पूर्वी चम्पारण एंवं पूर्णियाँ) से संबंधित 150 मामलों में अर्थदण्ड 2,500 रूपये से 26,250 रूपये की माँग का सृजन खनिज की कीमत बताये बगैर किया गया। सक्षम प्राधिकारी भी इस व्यवसाय को रोकने में विफल रहे। खनिज की न्यूनतम कीमत रॉयल्टी के बराबर लेने पर तथा पहले से लगायी गयी अर्थदण्ड की राशि को काटने पर 8.43 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड नहीं/कम लगाया गया।

इसे लेखापरीक्षा में सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य बताये जाने पर सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.), वैशाली ने मार्च 2004 में कहा कि अर्थदण्ड लगाने तथा वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है जबकि आठ स.ख.प.[5] ने सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य कहा कि समीक्षा के बाद कार्रवाई की जायगी। पाँच स.ख.प.[6] ने सितम्बर 2004 में कहा कि अर्थदण्ड लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परमिट के बिना ईंट भट्ठा के संचालन पर बि.ल.ख.स. नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाया जाना था।

मामले सरकार को फरवरी तथा जून 2004 के मध्य प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

[4] *औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा (बिहारशरीफ), नवादा, पूर्णिया(अररिया,कटिहार, किशनगंज तथा पूर्णियां जिलों को लेकर), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर तथा वैशाली (हाजीपुर)।*

[5] *औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गोपालगंज, नालंदा (बिहारशरीफ), नवादा, पूर्णियां तथा समस्तीपुर।*

[6] *भोजपुर, छपरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर तथा रोहतास।*

6.4 बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बि.ल.ख.स. नियमावली, 1972 के अन्तर्गत जिला समाहर्ता द्वारा एक कैलेंडर वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बालू घाट की बंदोबस्ती की जाती है तथा बंदोबस्ती दस्तावेज का निष्पादन बंदोबस्ती के आदेश होने के 60 दिनों के अन्दर किया जाना है। दस्तावेज का निष्पादन नहीं कराये जाने के मामलों में बंदोवस्ती आदेश रद्द समझा जायगा।

चार जि.ख.का.[7] में 78 बालू घाटों को वर्ष 2002 तथा 2003 के लिए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बंदोबस्ती के समुचित दस्तावेजों के निष्पादन के बिना 14.83 करोड़ रूपये पर बंदोबस्त किया गया। बंदोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन कराये बगैर बालू घाटों को बंदोबस्त कर देने के कारण 48.93 लाख रूपये के अधिभार सहित 93.41 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

इसे लेखा परीक्षा में अक्टूबर तथा दिसम्बर 2003 के मध्य बताये जाने पर, स.ख.प., भोजपुर ने सितम्बर 2004 में कहा कि सभी संबंधितों को राशि जमा करने के लिए सूचना दी जा रही है जबकि दो स.ख.प. (औरंगाबाद तथा रोहतास) ने अक्टूबर तथा नवम्बर 2003 के मध्य कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जायगी। तदन्तर, प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2004)।

मामले सरकार को फरवरी तथा अप्रील 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

6.5 मासिक विवरणी नहीं दाखिल करने के कारण अर्थदंड नहीं लगाना

बि.ल.ख.स. नियमावली, 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक पट्टेदार या परमिटधारी प्रत्येक माह लघु खनिजों के उत्खनन एवं निकासी के लिए संबंधित माह के अगले माह की 15 तारीख तक विहित प्रपत्र में एक विवरणी दाखिल करेगा। यदि कोई पट्टेदार या परमिटधारी आवश्यक विवरणी विहित अवधि में दाखिल करने में विफल होता है तो उसे विहित अवधि की समाप्ति तिथि के बाद से 20 रूपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 2,500 रूपये अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करना होगा।

जि.ख.का., गया में मार्च 2002 तथा अप्रील 2003 के मध्य यह पाया गया कि 37 पट्टाधारियों/परमिटधारियों ने लेखापरीक्षा की तिथि तक विवरणी दाखिल नहीं किया था। अप्रील 1998 से मार्च 2003 की अवधि से संबंधित विभिन्न महीनों की विवरणी के दाखिल नहीं होने के बावजूद स.ख.प. ने 8.33 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

इसे लेखा परीक्षा के दौरान मार्च 2002 तथा अप्रील 2003 के मध्य बताये जाने पर स.ख.प., गया ने अप्रील 2002 तथा मई 2003 के मध्य कहा कि मामला की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामला सरकार को मार्च 2004 तथा सितम्बर 2004 के मध्य प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

[7] *औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा तथा रोहतास (सासाराम)।*

ग : वन प्राप्तियाँ

6.6 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा उसके तहत किये गये संशोधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना गैर वानिकी प्रयोजनों में उपयोग के लिए किसी वन भूमि का विचलन नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति/सरकारी विभाग द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध वाद चलाने योग्य है तथा राज्य सरकार द्वारा उल्लंघन के हर मामले को पूर्ण विवरणों के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदित करना अनिवार्य है। गैर वानिकी प्रयोजनों में उपयोग के लिए वन भूमि को विचलित करने की स्थिति में उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा समतुल्य भूमि उपलब्ध कराना है साथ ही खड़े वृक्षों की कीमत तथा क्षतिपूरक वन रोपण मूल्य सहित सरकार द्वारा 1991 तथा 1998 में लागू किये दर पर विचलन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (शु.व.मू.) वसूलनीय है।

वन रोपण प्रमंडल, गया के अभिलेखों की नमूना जाँच से दिसम्बर 2003 में उद्घटित हुआ कि 146.09 हेक्टेयर सरकारी वन भूमि का जैसा विभाग ने 1998–1999 में पाया कि गोल्फ मैदान, सड़कों, भवनों आदि का निर्माण वर्तमान छावनी के विस्तार के लिए सैनिक सेवा कोर (सै.से.को) केन्द्र, गया द्वारा अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया। सै.से.को. द्वारा उक्त वन भूमि के विचलन हेतु प्रस्ताव (अगस्त 1998) विभाग को भेजा गया। इसे आवश्यक विवरणों जैसे विभाग को हस्तांतरण हेतु गैर वन भूमि का प्रावधान, क्षतिपूरक वन रोपण की योजना एवं मूल्य, शु.व.मू., खड़े वृक्षों की गिनती आदि के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सै.से.को. को लौटा दिया गया (जनवरी 2001)। यद्यपि, संशोधित प्रस्ताव सितम्बर 2004 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था, न तो विभाग द्वारा बेदखली के लिए कानूनी कार्रवाई की गयी और न मामला केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदित ही किया गया।

इस प्रकार, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के फलस्वरूप वातावरणीय स्थिरता तथा पर्यावरण संतुलन पर असर डालते हुए वन क्षेत्र के ह्रास के रूप में हानि के अलावा 6.65 करोड़ रूपये शु.व.मू. तथा 32.45 लाख रूपये के क्षतिपूरक वन रोपण मूल्य की वसूली नहीं हुई। खड़े वृक्षों की रॉयल्टी के रूप में राजस्व की हानि, इसकी गिनती के अभाव में सुनिश्चित नहीं की गई।

इसे दिसम्बर 2003 तथा सितम्बर 2004 में बताये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी (वप्र.प) ने सितम्बर 2004 में कहा कि संशोधित प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

मामला सरकार को मार्च 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

6.7 अतिक्रमित वन भूमि को खाली नहीं कराया जाना

समय–समय पर संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि का अतिक्रमण एक संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है। यदि कोई वन पदाधिकारी जो किसी वन प्रमंडल पदाधिकारी के नीचे के स्तर का नहीं हो, को यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकारी वन भूमि का अतिक्रमण हुआ है, तो वह अतिक्रमण को खाली करा

कर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक दंडाधिकारी को प्रदत्त अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अधिनियम के अन्तर्गत वन सम्पदा की क्षति के लिए रॉयल्टी तथा क्षतिपूर्ति की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से किया जायगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी वन भूमि के सभी अतिक्रमणों को अधिक से अधिक सितम्बर 2002 तक खाली करने का आदेश दिया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग ने सात दिनों के अन्दर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध वसूली प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए अनुदेश 01 अक्टूबर 2002 को जारी किया। बाद में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार ने जून 2003 में पाया कि व.प्र.प. की तरफ से प्रयास का अभाव था तथा निर्देश दिया कि खाली कराने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाय एवं किसी प्रमाद के मामले में वाद आरम्भ किया जाय।

वाल्मिकीनगर व्याघ्र परियोजना प्रमंडल संख्या II वाल्मिकीनगर, बेतिया में जनवरी 2004 में पाया गया कि भारतीय वन अधिनियम तथा विभाग के विशिष्ट अनुदेशों के बावजूद दस मामलों में 1992–2002 के दौरान 55.43 हेक्टेयर अतिक्रमित वन भूमि जिसका मूल्य 2.52 करोड़ रूपये था, को लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2004) तक खाली नहीं कराया गया था। तथापि, अतिक्रमणों को खाली कराने में विफल होने पर विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई।

इसे जनवरी 2004 में बताये जाने पर व.प्र.प. ने कहा (जनवरी तथा सितम्बर 2004) कि अतिक्रमणों को खाली कराया जा रहा है। व.प्र.प. के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि बेदखली सितम्बर 2004 तक नहीं हुई थी।

मामला सरकार को मई 2004 में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

6.8 संग्रहित / गैरदावित लकड़ी का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

बिहार फॉरेस्ट प्रोड्यूस (रेगुलेशन ऑफ ट्रेड) एक्ट, 1984 के अनुसार राज्य के वनों से संग्रहित या संग्रहित किये जाने वाले सभी वन संपदाओं को प्रत्येक वर्ष, अप्रील की समाप्ति से पूर्व, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दिया जायगा।

दो वन प्रमंडलों[8] में दिसम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य यह पाया गया कि वर्ष 1999–2003 के दौरान संग्रहित एक करोड़ रूपये मूल्य के विभिन्न प्रजातियों की 1,571.49 घ.मी. लकड़ियों तथा 4,722 घेरे के खम्भे की बिक्री लेखापरीक्षा की तिथि तक नहीं की गई थी। संबंधित व.प्र.प. द्वारा समय पर इसकी बिक्री के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप एक करोड़ रूपये की राजस्व की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा, लम्बे समय से खुले आकाश में रखने के कारण लकड़ियों में क्षरण हो रहा था।

लेखापरीक्षा के दौरान दिसम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य इसे बताये जाने पर संबंधित व.प्र.प. ने कहा कि नीलामी हेतु कार्रवाई की जा रही है। तथापि उपरोक्त शेषों में से मात्र

[8] *भभुआ तथा कटिहार (अब पूर्णिया) प्रमंडल।*

353.309 घ.मी. (818 घ.मी. में से) 17.73 लाख रूपये की बिक्री की जा सकी। यह लकड़ियों की बिक्री के लिए असरदार कार्रवाई की अनुपस्थिति प्रकट करती है। भभुआ प्रमंडल में भी सितम्बर 2004 तक अवस्था अपरिवर्तित रही।

मामले सरकार को मार्च तथा मई 2004 के मध्य प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

घ : जलदर

6.9 खतियानी तैयार नहीं किये जाने के कारण माँग का सृजन नहीं किया जाना

बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जैसा कि बिहार में लागू है, कृषि कार्य हेतु जल आपूरित किये गये लाभार्थियों से जलदर की वसूली हेतु खरीफ के लिए 30 नवम्बर तथा रबी फसल के लिए 25 मई तक की निर्धारित अवधि के भीतर सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न औपचारिकताएँ जैसे सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकर) की तैयारी, कृषकवार विस्तृत मापों (खेसरा) की तैयारी और माँग विवरणियों (खतियानी) की तैयारी पूरी किये जाने की आवश्यकता है।

चार जलपथ प्रमंडलों[9] में जून तथा दिसम्बर 2003 के मध्य यह पाया गया कि वर्ष 1999–2000 से 2002–2003 के दौरान खरीफ के 4.11 लाख एकड़ सिंचित भूमि तथा रबी के 1.01 लाख एकड़ सिंचित भूमि से संबंधित खतियानी तैयार नहीं की गयी तथा 3.73 करोड़ रूपये के जलदर के माँग का सृजन एवं संग्रहण के लिए उसे संबंधित राजस्व प्रमंडलों को अग्रसारित नहीं किया गया।

जून तथा दिसम्बर 2003 के मध्य इसे बताये जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने खतियानी की तैयारी नहीं होने का कारण कर्मचारियों की कमी बताया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन प्रमंडलों में उपलब्ध कर्मचारी उस काम को करने के लिए आवश्यक कर्मचारी की तुलना में अधिक थे। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

मामले सरकार को जनवरी तथा फरवरी 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004)।

6.10 कम दर पर चट भूमि की बंदोबस्ती के कारण राजस्व की हानि

बिहार सिंचाई सार संग्रह (हस्तक) तथा इसके तहत निर्गत अनुदेशों के अन्तर्गत जलदर सहित समय–समय पर संशोधित, विहित दर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष जून से फरवरी की अवधि तक नौ महीनों के लिए पट्टा पर चट भूमि[10] की बंदोबस्ती की जानी है।

[9] *सोन नहर प्रमंडल आरा, जल पथ प्रमंडल (भागलपुर, बिहारशरीफ तथा जहानाबाद)।*

[10] *नहर के दोनो तरफ अवस्थित सरकारी भूमि।*

दो नहर प्रमंडलों[11] में यह पाया गया कि वर्ष 2002–2003 के लिए संशोधित दर 1,163 रूपये प्रतिएकड़ के बदले पुरानी दर 213 रूपये प्रतिएकड़ की दर पर 2,496.04 एकड़ दो फसली चट भूमि की बंदोबस्ती कर दी गयी, फलस्वरूप 23.71 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

फरवरी 2004 में इसे बताये जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने कहा कि विभाग द्वारा प्रमंडलों को संशोधित दर सूचित नहीं किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्च 2002 में संशोधित दर का आदेश सूचित किया जा चुका था।

मामला सरकार को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004) ।

23 MAR 2005

पटना
दिनांक

विक्रम चन्द्र

(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) , बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

1 APR 2005

नई दिल्ली
दिनांक

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

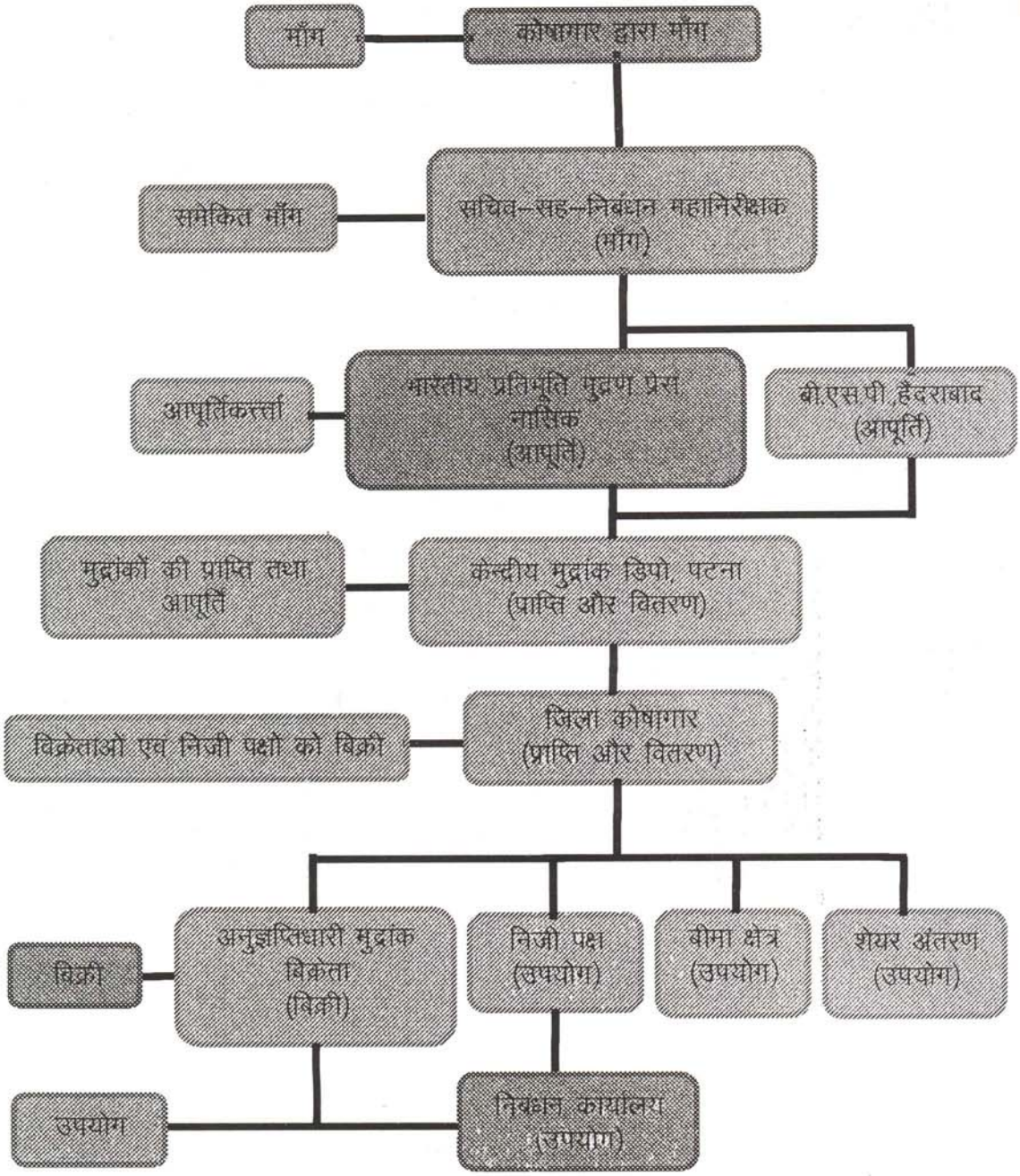
[11] *गंगा पम्प नहर प्रमंडल, बक्सर तथा सोन नहर प्रमंडल, बक्सर।*

परिशिष्ट–I

(संदर्भ : कंडिका 5.2.1)

मुद्रांकों का फ्लो चार्ट

मुद्रांको की माँग, प्राप्ति तथा बिक्री एवं निबंधन कार्यालयों में मुद्रांक शुल्क की वसूली को दर्शाते हुए एक फ्लो चार्ट निम्नवत है:



परिशिष्ट–II

(संदर्भ : कंडिका 6.2.6)
ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(करोड़ रूपये में)

विभाग का नाम	वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण	वर्ष के दौरान भुगतान	अन्तशेष
उर्जा	1998-1999	2,917.01	532.85	0.24	3,449.62
	1999-2000	3,449.62	985.96	0.06	4,435.52
	2000-2001	4,435.52	588.46	0.06	5,023.92
	2001-2002	5,025.82[Ψ]	482.42	0.0015	5,508.24
	2002-2003	5,508.24	630.34	---	6,138.58
	कुल		**3,220.03**	**0.3615**	
कृषि	1998-1999	592.40	6.32	0.39	598.33
	1999-2000	598.33	6.33	0.40	604.26
	2000-2001	604.26	29.51	0.10	633.67
	2001-2002	633.67	22.68	0.35	656.00
	2002-2003	656.00	30.92	0.87	686.05
	कुल		**95.76**	**2.11**	
उद्योग तथा खनिज	1998-1999	560.13	0.80	0.97	559.96
	1999-2000	559.96	3.31	1.74	561.53
	2000-2001	561.53	0.03	1.26	560.30
	2001-2002	560.30	2.28	1.21	561.37
	2002-2003	561.37	4.78	0.42	565.73
	कुल		**11.20**	**5.60**	
आवास तथा शहरी विकास	1998-1999	356.60	14.65	2.37	368.88
	1999-2000	368.88	22.79	2.56	389.11
	2000-2001	389.11	11.07	2.26	397.92
	2001-2002	397.92	16.05	2.94	411.03
	2002-2003	411.03	24.03	1.95	433.11
	कुल		**88.59**	**12.08**	
सहकारिता	1998-1999	191.61	6.28	0.38	197.51
	1999-2000	197.51	6.33	0.39	203.45
	2000-2001	203.45	29.50	0.09	232.86
	2001-2002	232.86	22.68	0.20	255.34
	2002-2003	255.34	30.92	0.87	285.39
	कुल		**95.71**	**1.93**	
	कुल योग		**3,511.29**	**22.08**	

[Ψ] *1.90 करोड़ रूपये "7055–शीर्ष के लिए ऋण" से प्रोफर्मा हस्तांतरण किया गया था – संदर्भ : वर्ष 2001–2002 के लिए बिहार सरकार का वित्त लेखा।*